Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 176-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 28, 2016 (KARTIKA 6, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 अक्तूबर, 2016

संख्या 1/20/2016(ऐ.सी.पी.)–5 पी.आर. (एफ.डी.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा उद्देश्य :–

(1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियम, 2016, कहे जा सकते है।

(2) ये नियम जब तक, सरकार द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा प्रवर्ग के लिए अन्यथा उपबंधित न किए गए हों, जनवरी 2016, के प्रथम दिन से लागू हुए समझे जायेंगे ।

(3) इन नियमों का उद्देश्य हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीमों के दो प्रवर्ग प्रदान करना है। स्कीम का प्रथम प्रवर्ग कुछ काडरों/पदों/सेवाओं के लिए काडर–विशिष्ट सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम है। स्कीम का दूसरा प्रवर्ग मुख्यतः सामान्य सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम के रूप में सेवा में गतिहीनता को दूर करने के लिए है। द्वितीय प्रवर्ग स्कीम सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि सभी सरकारी कर्मचारियों, जिनके काडर किसी काडर विशिष्ट सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, को कम से कम तीन वित्तीय अपग्रेडेशन मिलें, जिसमें ऐसे सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने सम्पूर्ण कैरियर के दौरान वृत्तिमूलक पदोन्नति के परिणामस्वरूप प्राप्त वित्तीय अपग्रेडेशन भी शामिल है । यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेगी कि जब तक वह पहले से ही अपने कैरियर में तीन वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ प्राप्त नहीं कर लेता, कोई भी सरकारी कर्मचारी आठ वर्ष से अधिक के लिए किसी वित्तीय अपग्रेडेशन के बिना गतिहीन न रहे।

2. सरकारी कर्मचारी के प्रवर्ग जिनको ये नियम लागू हैं: –

(1) इन नियमों के अधीन अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय ये सिविल सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों तथा हरियाणा सरकार के कार्यकलापों से सम्बन्धित पदों जो हरियाणा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं तथा जिनका वेतन हरियाणा राज्य की संचयी निधि के नामे डालने योग्य हैं, को लागू होंगे।

टिप्पण–ये नियम सैनिक पेन्शनरों सहित पुनः नियोजित पेंशनरों को लागू होंगे जो प्रथम जनवरी, 2016 से पेंशन के पुनरीक्षण के अध्यधीन विद्यमान वेतन ढांचे में वेतन ले रहे हैं।

2. ये नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे–

(क) हरियाणा सरकार के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्य कर रहे अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य;

(ख) हरियाणा सरकार के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्य कर रहे न्यायिक सेवाओं के अधिकारी;

(ग) ऐसे व्यक्ति जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं;

(घ) ऐसे व्यक्ति जिन्हें मासिक आधार पर से अन्यथा भुगतान किया जाता है, जिनमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें केवल मात्रानुपाती दर के आधार पर या दैनिक मजदूरी आधार पर या संविदा आधार पर या आउटसोर्सिंग पॉलिसियों के अधीन नियुक्ति पर भुगतान किया जाता है;

3. परिभाषाएं:– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में "ए.सी.पी. स्तर" से अभिप्राय है, तत्समान सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर जिसमें सरकारी कर्मचारी इन नियमों के लागूकरण के फलस्वरूप उसके वर्तमान वेतन ढांचे के पद में रखने के लिए पात्र या हकदार हैं;

(ख) "लागू स्तर" से अभिप्राय होगा, प्रथम जनवरी 2016 को अनुसूची–। में विनिर्दिष्ट वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान के तत्समान ए.सी.पी. स्तर;

(ग) "काडर विशिष्ट सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम" से अभिप्राय है, कोई स्कीम, जो इन नियमों के क्षेत्र के भीतर आती है और इन नियमों की अनुसूची । के भाग । में यथा वर्णित है;

(घ) "सी.एस.आर." से अभिप्राय है, समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सरकारी कर्मचारियों को यथा लागू सिविल सेवा नियम;

(ड़) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, पद जिस पर कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में नियमित तथा सीधे रंगरूटी के रूप में भर्ती किया गया था तथा ऐसी भर्ती से सरकार के लगातार नियोजन में है;

(च) "विद्यमान मूल वेतन" से अभिप्राय है, प्रथम जनवरी 2016 को या दिसम्बर, 2015 को वर्तमान ढांचे में विकल्प की तिथि को वेतन, इसमें वेतन की कोई अन्य किस्म जैसे "विशेष वेतन" "वैयक्तिक वेतन" इत्यादि शामिल नहीं है,

(छ) किसी पद अथवा किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में "विद्यमान ए.सी.पी. वेतन ढ़ांचा" से अभिप्राय है, इन नियमों के लागू होने से ठीक पूर्व तिथि को पुनरीक्षित ए.सी.पी. वेतन ढांचा;

(ज) "सामान्य ए.सी.पी. स्कीम के अधीन प्रथम/द्वितीय/तृतीय सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर" से अभिप्राय है, अनुसूची–। के भाग ।। के खाना 3 में वर्णित प्रथम जनवरी, 2016 को वृत्तिमूलक ग्रेड वेतन के संदर्भ में अनुसूची–। के भाग ।। के क्रमशः खाना 3, 4 तथा 5 में यथावर्णित सामान्य ए.सी.पी. स्कीम के अधीन आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उच्चतर स्तर के सम्बन्ध में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय अपग्रेडेशन और क्रमशः प्रथम ए.सी.पी स्तर, द्वितीय ए.सी.पी. स्तर तथा तृतीय ए.सी.पी. स्तर के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा;

(झ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, इन नियमों द्वारा अथवा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, वित्त विभाग में हरियाणा सरकार;

(ञ) "सरकारी कर्मचारी" से अभिप्राय है, जिनको इन नियमों का नियम 2 लागू है;

(ट) "छुट्टी" से अभिप्राय है, "आकस्मिक छुट्टी" के सिवाय सिविल सेवा नियम में यथा परिभाषित कोई स्वीकृत छुट्टी। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी प्रकार की अनुपस्थिति छुट्टी के रूप में नहीं समझी जाएगी;

(ठ) "व्याख्यात्मक ज्ञापन" से अभिप्राय है, इन नियमों के स्वरूप, औचित्य, उद्देश्यों, प्रयोज्यता इत्यादि को संक्षिप्त रूप से स्पष्ट करने वाले अनुबन्ध 1 के रूप में इन नियमों से संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन;

(ड) किसी सरकारी कर्मचारी या पद के सम्बन्ध में "वर्तमान वेतन ढांचा" से अभिप्राय है, इन नियमों के लागू होने से ठीक पूर्व लागू नियमों के अधीन अनुज्ञेय ए.सी.पी. वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन;

(ढ) व्यक्ति से अभिप्राय है, व्यक्ति जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारी है ।

(ण) "पुनरीक्षित उपलब्धियों" से अभिप्राय है, पुनरीक्षित वेतन ढांचे में सरकारी कर्मचारी का ए.सी.पी. स्तर में वेतन;

(त) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

4. काडर विशिष्ट सुनिश्चित प्रगति स्कीम ।

अनुसूची । के भाग । के खाना 2 में वर्णित कुछ काडरों/पदों/सेवाओं के लिए अनुसूची 1 के भाग । के खाना 4 में वर्णित ए.सी.पी. स्तर उन सभी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगा जो पात्रता के अध्यधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा ऐसे विशिष्ट काडरों/सेवाओं के सदस्य बन जाते हैं ।

5. सामान्य सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम ।

अनुसूची । के भाग ।। के खाना 3, 4 तथा 5 में यथावर्णित प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय ए.सी.पी. स्तर के रूप में वित्तीय अपग्रेडेशन प्रथम जनवरी, 2016 के वृत्तिमूलक ग्रेड वेतन के संदर्भ में इस स्कीम के अधीन आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी। तथापि, पदोन्नति के बाद में पद धारण करने वाले कर्मचारी के मामले में, हकदारी ए.सी.पी. स्तर प्रथम जनवरी, 2016 को पदोन्नत पद का विद्यमान वृत्तिमूलक ग्रेड वेतन के तत्समान वेतन स्तर का होगा।

6. काडर विशिष्ट ए.सी.पी. स्तर प्रदान के लिए पात्रता ।

काडर विशिष्ट ए.सी.पी. वेतन स्तर प्रदान करने के लिए पात्रता की शर्तें नीचे नियम 8 में दी गई पात्रता की सामान्य शर्तों से अलग इन नियमों की अनुसूची । के भाग । में यथा वर्णित अनुसार होगी।

टिप्पणः– (1) संवर्ग संख्या से अभिप्राय है, किसी संवर्ग में कुल स्वीकृत पद।

टिप्पणः– (2) जहां ए.सी.पी. स्तर प्रदान करना संवर्ग संख्या की प्रतिशतता तक सीमित है तो यह निम्नलिखित रीति में लिखा जाएगा :–

(i) यदि ए.सी.पी. स्तर कुल संवर्ग संख्या का बीस प्रतिशत तक उपलब्ध है, तो संवर्ग की न्यूनतम संख्या तीन होनी चाहिए। यह केवल एक पात्र सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय होगी जहां संवर्ग संख्या तीन से सात तक पदों की है।

(ii) यदि ए.सी.पी. स्तर कुल संवर्ग संख्या का पन्द्रह प्रतिशत तक उपलब्ध है, तो संवर्ग की न्यूनतम संख्या चार होनी चाहिए। यह केवल एक पात्र सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय होगी जहां संवर्ग संख्या चार से दस तक पदों की है।

टिप्पणः– (3) नियम 8 के नीचे टिप्पण 1 तथा 2 भी देखें ।

7. सामान्य ए.सी.पी. स्कीम के अधीन ए.सी.पी. स्तर देने के लिए पात्रता।

(1) वेतन के आहरण के प्रयोजनों के लिए सामान्य ए.सी.पी. स्कीम के अधीन आने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, प्रथम ए.सी.पी. स्तर (प्रथम जनवरी, 2016 को उसके पद के वृत्तिमूलक वेतन ढांचे के सम्बन्ध में अनुसूची । के भाग ।। के खाना 3 में दिया गया) प्राप्त करने का पात्र होगा, यदि उसने नियमित संतोषजनक सेवा के आठ वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा उसे पद जिसके लिए वह सीधी भर्ती के रूप में भर्ती किया गया था के वृत्तिमूलक वेतन ढांचे के संदर्भ में इन आठ वर्षों में कोई वित्तीय अपग्रेडेशन नहीं मिली है।

(2) वेतन के आहरण के प्रयोजनों के लिए सामान्य ए.सी.पी. स्कीम के अधीन आने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, प्रथम ए.सी.पी. स्तर (प्रथम जनवरी, 2016 को उसके पद के वृत्तिमूलक वेतन ढांचे के सम्बन्ध में अनुसूची । के भाग ।। के खाना 4 में दिया गया) प्राप्त करने का पात्र होगा, यदि उसने नियमित संतोषजनक सेवा के सोलह वर्ष पूरे कर लिए हैं बशर्ते कि उसने पद जिसके लिए वह सीधी भर्ती के रूप में भर्ती किया गया था, के वृत्तिमूलक वेतन ढ़ांचे के संदर्भ केवल एक वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त की है ।

(3) वेतन के आहरण के प्रयोजनों के लिए सामान्य ए.सी.पी. स्कीम के अधीन आने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, प्रथम ए.सी.पी. स्तर (प्रथम जनवरी, 2016 को उसके पद के वृत्तिमूलक वेतन ढांचे के सम्बन्ध में अनुसूची । के भाग ।। के खाना 5 में दिया गया) प्राप्त करने का पात्र होगा, यदि उसने नियमित संतोषजनक सेवा के चौबीस वर्ष पूरे कर लिए हैं और उसने पद जिसके लिए वह सीधी भर्ती के रूप में भर्ती किया गया था के वृत्तिमूलक वेतन ढांचे के संदर्भ में अब तक दो से अधिक वित्तीय अपग्रेडशन प्राप्त नहीं की है ।

(4) पदोन्नत सरकारी कर्मचारी के मामले में, उस द्वारा बिना किसी वित्तीय अपग्रेडेशन के पदोन्नत पद पर नियमित संतोषजनक सेवा के आठ वर्ष पूरे किए जाने के उपरान्त ही अगले ए.सी.पी. स्तर के लिए विचार किया जाएगा और वह पदोन्नत पद जिसको धारण करता है के स्तर के संदर्भ में अगले ए.सी.पी. स्तर वेतन के लिए हकदार होगा :

परन्तु सरकारी कर्मचारी ए.सी.पी. अपग्रेडेशन प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगा, यदि वह अपने कैरियर में पहले ही किसी भी रूप में तीन वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त कर चुका है ।

व्याख्या 1:–इन नियमों के प्रयोजन के लिए "नियमित संतोषजनक सेवा" से अभिप्राय होगा, नीचे वर्णित नियमित आधार पर सेवा संतोषजनक के रूप में समझी जाएगी यदि इस अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लम्बित नहीं हैं और इस अवधि की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में ईमानदारी के बारे में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की गई हैं :–

1. हरियाणा सरकार के विभाग में या तो सीधी भर्ती द्वारा या अन्यथा नियमित आधार पर किसी पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से सेवा ।
2. प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा में व्यतीत की गई अवधि इन नियमों के प्रयोजन के लिए 'नियमित सेवा' में गिनी जाएगी।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से स्वीकृत की गई सभी प्रकार की छुट्टी (चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना असाधारण छुट्टी को छोड़कर) ।

4. हरियाणा सरकार के अधीन सीधी भर्ती द्वारा या अन्यथा एक विभाग से दूसरे में नियुक्ति पर, पूर्व नियमित संतोषजनक सेवा जहां वेतन ढांचा/वेतन स्तर तथा दोनो पदों की सेवा लाईन समरूप/एक समान है गिनी जाएगी । तथापि, इन नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारी पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक वह नए पद की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी नहीं कर लेता है । पहले से प्राप्त की गई वित्तीय अपग्रेडेशन भी दृष्टिगत रखी जाएगी ।

व्याख्या के प्रयोजन के लिए, –

सेवा लाईन से अभिप्राय है, कार्य रूप–रेखा का वही स्वरूप उदाहरणतः इन नियमों के अधीन आने वाले एक समान वेतन ढांचे के पद के इंजिनियरी से इंजिनियरी संवर्ग में नियुक्ति, तथापि, (परिचालक) से लिपिक की नियुक्ति शामिल नहीं है।

5 नियुक्ति/पदोन्नति के डीम्ड तिथि का लाभ ज्येष्ठता में गिना जाएगा।

6 किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा की अवधि जिसे नियमित आधार पर कार्य करते समय विहित कोटा में तदर्थ पदोन्नति दी गई है तथा बाद में उसी पद पर नियमित किया गया है, तो उसकी तदर्थ पदोन्नति की सेवा अवधि नियमित संतोषजनक सेवा के रूप में मानी जाएगी ।

7 सरप्लस घोषित किए गए हरियाणा सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम के सरप्लस कर्मचारियों द्वारा दी गई पूर्व नियमित सेवा तथा बाद में वेतन संरक्षण के लाभ सहित अन्य विभागों में स्थानांतरण आधार पर नियुक्ति या समायोजित ए.सी.पी. स्तर प्रदान करने के लिए भी गिनी जाएगी; बशर्ते कि पहले से प्राप्त की गई वित्तीय अपग्रेडेशनों को भी हिसाब में लिया जाएगा ।

नियमित संतोषजनक सेवा में निम्नलिखित शामिल नहीं है, –

1 नियमन द्वारा ग्रहण की गई तदर्थ/संविदा/वर्कचार्जड आधार/दैनिक मजदूरी के रूप में की गई सेवा गिनी नहीं जाएगी।

2 सीधी भर्ती द्वारा अथवा अन्यथा निम्नतर या उच्चतर वेतनमान/वेतन ढांचे के पद पर उसकी पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर किसी कर्मचारी की पूर्व सेवा। पहले से प्राप्त किए गए द्वितीय अपग्रेडेशन हिसाब में नहीं लिए जाएगें।

3 हरियाणा सरकार के किसी विभाग में नियुक्ति से पूर्व किसी अन्य राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार में की गई पूर्व सेवा ।

4. सिविल सेवा में उसके पुनः नियोजन से पूर्व किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा दी गई सैनिक सेवा (आपातकाल सैनिक सेवा से भिन्न ज्येष्ठता में गिनी जाएगी) ।

टिप्पणः– 1- पश्चात्वर्ती नियुक्ति ग्रहण करने के लिए सेवा से त्यागपत्र तकनीकी औपचारिकता होगी यदि उसके लिए आवेदन उचित प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

टिप्पणः– 2- ऊपर परिभाषित नियमित सेवा संतोषजनक सेवा के रूप में समझी जाएगी यदि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लम्बित नहीं है। नियमित सेवा की अवधि के दौरान वार्षिक गोपनीय रिपार्ट में ईमानदारी के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की गई हैं।

व्याख्या 2:– इन नियमों के प्रयोजनों के लिए "वित्तीय अपग्रेडेशन से अभिप्राय होगा, किसी सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया गया निम्नलिखित किसी प्रकार का लाभ

1. हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियम, 1998 या 2008 के अधीन प्रथम, द्वितीय या तृतीय ए0सी0पी0 अपग्रेडेशन प्रदान करना।

2. पदोन्नत पद के वेतनमान में अगली स्टेज या एक वेतन वृद्धि या अधिक के लाभ सहित उसी या उच्चतर वेतनमान में एक पद से दूसरे में पदोन्नति।

3. पदोन्नत पद के न्यूनतम वेतनमान या वेतन बैंड से कम स्टेज पर ए0सी0पी0 वेतन ढ़ांचे में वेतन लेते समय पदोन्नति जहां एक वेतन वृद्धि के समान या से अधिक लाभ सहित पदोन्नत पद के न्यूनतम वेतनमान या वेतन ढ़ांचे के न्यूनतम पर नियत किया जाता है।

4. उच्चतर मानक वेतनमान में वेतन लेते समय अगली स्टेज या अधिक के लाभ सहित प्रथम जनवरी, 1996 से पूर्व पदोन्नति।

5. उच्चतर मानक वेतनमान प्रदान करना बशर्ते कि वेतन हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियम, 1998 के अधीन अनुज्ञेय उच्चतर मानक वेतनमान से ए0सी0पी0 वेतनमान में सीधे रूप से नियत किया गया था।

6. प्रथम जनवरी, 2016 के बाद किसी तिथि से वेतन स्तर का रूपांतरण।

7. प्रथम जनवरी, 2016 से पूर्व या बाद चाहे कोई भी कारण हो ए0सी0पी0 वेतन या ए0सी0पी0 स्तर की बढोतरी का लाभ।

8. सलैक्शन ग्रेड प्रदान करना बशर्ते सरकारी कर्मचारी फीडर पद के सलैक्शन ग्रेड में वेतन लेते समय उच्चतर वेतनमान के पद पर पदोन्नत किया गया था।

9. हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियम, 2008 की विशेष हकदारी के अधीन लाभ प्रदान करना।

10. सोलह वर्ष या अधिक की नियमित संतोषजनक सेवा के पूर्ण होने पर सीधे रूप से द्वितीय ए0सी0पी0 प्रदान करना एक की बजाय दो वित्तीय अपग्रेडेशन मानी जाएगी।

लाभ जो वित्तीय अपग्रेडेशन नहीं माने जाएगें:–

1. ग्रुप 'ग' या 'घ' पद में ग्यारहवीं/बाईसवीं स्टेज पर या आठ/ अठारह वर्षों की सेवा पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियों) का लाभ।

2. सलैक्शन ग्रेड/उच्चतर मानक वेतन मान प्रदान करना वित्तीय अपग्रेडेशन नहीं होगा यदि वेतन वेतनमानों के सामान्य पुनर्रीक्षण के समय पर वृत्तिमूलक वेतनमान में नियत किया गया है।

3. किसी सीमित अवधि के लिए बाह्य–संवर्ग पद (पदों) पर कार्य करते समय प्राप्त की गई पदोन्नति (पदोन्नतियां) बशर्ते कि बाह्य सवंर्ग पद (पदों) का वेतन किसी संवर्ग पद के प्रतिवर्तन के समय पर हिसाब में नहीं लिया गया है। उदाहरणार्थ लिपिक के रूप में प्रांरम्भिक नियुक्ति फिर विभागीय परीक्षाओं के रूप फिर लिपिक से आशुटंकण और कनिष्ट वेतनमान आशुलिपिक, उसके बाद लिपिक के रूप में ज्येष्ठता के संदर्भ में सहायक के पद पर पदोन्नति बशर्ते कि न तो आशुटंकण और न ही कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का वेतन सहायक के वेतन के समय हिसाब में लिया गया है।

8. **ए.सी.पी. स्तर की पात्रता की अन्य सामान्य शर्तें–** ए.सी.पी. स्तर का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित सामान्य शर्तों को भी पूरा करना होगाः–

(क) प्रथम, द्वितीय या तृतीय ए.सी.पी. स्तर में किसी को प्रदान करने के लिए पात्रता के लिए अपनी–अपनी विहित अवधि पूरी करने के बाद से सरकारी कर्मचारी उसके संवर्ग में वृत्तिमूलक पदानुक्रम में केवल ठीक अगले उच्चतर पद पर पदोन्नत किए जाने के लिए योग्य होगा, किन्तु उपयुक्तता के बावजूद वह पदानुक्रम में पदोन्नत पद पर रिक्ति की कमी या अन्यथा के कारण वृत्तिमूलक रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकेगा, जिसके लिए वह पदोन्नति का पात्र है;

(ख) यदि ऐसी पदोन्नति के लिए कोई विभागीय या अन्य परीक्षा पास करना, उच्चतर शैक्षिणक योग्यता इत्यादि का अर्जन शामिल है तो ऐसी शर्त भी सरकारी कर्मचारी द्वारा पूरी की जाएगी ।

अपवाद– शैक्षणिक योग्यता तथा विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, की शर्त ए.सी.पी. स्तर हेतु पात्रता आधारित करते समय ग्रुप घ कर्मचारियों को लागू नहीं होगी जहां पद जिसके लिए मैट्रिकुलेशन या से ऊपर की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है से अन्यथा पदानुक्रम में कोई भी पदोन्नत पद नहीं है ।

टिप्पण 1.– जब कोई सरकारी कर्मचारी उसके विरुद्ध लम्बित विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियों या अन्यथा के कारण ए.सी.पी. स्तर प्रदान करने के लिए पात्रता की तिथि को पदोन्नति के लिए योग्य नहीं है तो उसे ए.सी.पी. स्तर का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक उसे पदोन्नति के लिए योग्य घोषित नहीं किया जाता है, यह पश्चात्वर्ती ए.सी.पी. अपग्रेडेशन पर भी परिणामिक प्रभाव भी रखती है ।

टिप्पण 2.– जहां सरकारी कर्मचारी को उसके विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाहियों के कारण ए.सी.पी. स्तर का लाभ प्रदान करने के लिए इन्कार किया जाता है तथा पश्चात्वर्ती किसी दूसरे मामले के सम्बन्ध में दूसरा आरोप पत्र भी जारी किया गया है किन्तु इस दौरान यदि पूर्व आरोप पत्र से छूट जाता है तो उसे ए.सी.पी. स्तर का लाभ प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि वह पश्चात्वर्ती आरोप पत्र जारी करने की तिथि से पूर्व अन्यथा अनुज्ञेय है ।

टिप्पण 3.– ए.सी.पी. स्तर आगामी मास जिसमें सरकारी कर्मचारी उसके लिए पात्र हो जाता है के प्रथम दिन से प्रदान किया जाएगा ।

टिप्पण 4.– जहां पदानुक्रम में कोई भी पदोन्नत पद नहीं है, ऐसे मामले में ए.सी.पी. स्तर केवल विहित नियमित संतोषजनक सेवा के पूरा होने पर प्रदान किया जाएगा ।

9. **निर्वहन किये जाने वाले दायित्व इत्यादि.–** ए.सी.पी. स्तर में डाले जाने पर सरकारी कर्मचारी उस द्वारा धारित उसके पूर्व पद की परिचालन ड्यूटी को धारण करना जारी रखेगा तथा ऐसे समय तक पूर्व पदनाम धारण करता रहेगा, जिस समय वह किसी रिक्ति के होने पर उच्चतर पद पर वास्तव में पदोन्नत नहीं किया जाता है।

10. **ए.सी.पी. स्तर इत्यादि के परिणाम.–** ए.सी.पी. स्तर में डाला जाना केवल वेतन लेने का तथा ए.सी.पी. स्तर में वेतन पर भत्तों का वित्तीय लाभ लेने का हकदार बनाएगा। दूसरी हकदारी जिसमें कर्मचारी की हैसियत पर सामान्य तौर पर आश्रित हकदारी शामिल है, उसके पद के संदर्भ में अवधारित किया जाना जारी रहेगा, जिस पर वह ए.सी.पी. स्तर वेतन लेते समय अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में कार्य कर रहा है।

11. सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर का दिया जाना.–

(1) नियम 6, 7 तथा 8 केवल सुसंगत सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में डाले जाने के लिए पात्रता की शर्तें विहित करते हैं तथा सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में स्वतः डाला जाना प्राधिकृत नहीं करता है, जिसमें सरकारी कर्मचारी इन नियमों के अधीन डाले जाने के लिए पात्र हैं । सरकारी कर्मचारी की दशा में पदोन्नति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी समुचित सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में किसी सरकारी कर्मचारी को रखा जाना प्राधिकृत करते हुए इन नियमों के अधीन सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर प्रदान करने के लिए उचित आदेश पारित करने की अपेक्षा की जाएगी। नियम 6 या 7 के अधीन ऐसे आदेश पारित करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी सुनिश्चित करेगा,–

(क) कि यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, ऐसी समिति उन मामलों पर सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर प्रदान करने के लिए मामलों पर भी विचार करेगी मानो ये पदोन्नति के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए मामले थे तथा उनकी सिफारिशों पर ऐसी रीति में विचार किया गया है, जैसा वृत्तिमूलक पदोन्नति की दशा में विचार किया जाता है;

(ख) कि इन नियमों अथवा इन नियमों के अधीन जारी किए गए किसी अन्य आदेशा/अनुदेशों आदि में अधिकथित शर्तों तथा उपबंधों का अथवा इस प्रयोजन से अन्यथा कठोर अनुपालन किया गया है;

(ग) कि सरकारी कर्मचारी जो ए.सी.पी. सामान्य स्कीम के अधीन आते हैं को दिये गए वित्तीय अपग्रेडेशनों की संख्या उस वेतनमान के सन्दर्भ में गिनी जाती है या पद का वेतन ढांचा जिसके लिए सरकारी कर्मचारी नए प्रवेशक के रूप में सीधी भर्ती के आधार पर भर्ती किया गया था । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वित्तीय अपग्रेडेशन एक अपग्रेडेशन के रूप में गिना जाएगा। ए.सी.पी. सामान्य स्कीम के अधीन सरकारी कर्मचारी को ए.सी.पी. लाभ नहीं दिया जाएगा यदि वह ए.सी.पी या अन्यथा के रूप में अपने सेवाकाल में पहले ही तीन वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त कर चुका है;

(घ) कि इन नियमों अथवा किन्ही अन्य नियमों या सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

व्याख्या.–इस नियम के प्रयोजन के लिए ''सक्षम प्राधिकारी '' से अभिप्राय होगा, पदानुक्रम में अगले पदोन्नत पद पर पदोन्नति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।

(2) इस प्रकार दिया गया ए.सी.पी. स्तर अगामी मास जिस में कोई सरकारी कर्मचारी पात्र हो जाता है के प्रथम दिन से प्रभावी होगा और उस तिथि से नहीं जिसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जाते हैं, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश उस तिथि को जारी किए गये हैं, जो पात्रता की देय तिथि से भिन्न है:

परन्तु सरकारी कर्मचारी अपना वेतन सुसंगत एं.सी.पी. वेतन स्तर में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा वेतन ढांचा देने के लिए केवल आदेश जारी किए जाने के बाद ही प्राप्त करेगा।

(3) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामलों में जो इन नियमों की अधिसूचना की तिथि को या से पूर्व ए.सी.पी. वेतन ढांचे में अपना वेतन ले रहे है, उपरोक्त उप–नियम, (1) तथा (2) के उपबंधों के अधीन कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वे ए.सी.पी. स्तर के अनुरूप उस ए.सी.पी. वेतन ढांचा में वेतन प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे, जिसमे वे अपना वेतन प्राप्त कर रहे है:

परन्तु दिया गया समझा गया सुनिश्चित जीविका स्तर पुनरीक्षित वेतन ढांचे के लिए अपनी हकदारी को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें उसे इन नियमों के लागू होने के फलस्वरूप डाला जायेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी इन नियमों के लागू होने के परिणामस्वरूप वेतन नियतन के प्रयोजनों के लिए इन नियमों के अधीन उनकी पात्रता के अनुसार समुचित पुनरीक्षित वेतन स्तर में रखे जाएंगे।

12. कतिपय मामलों में बढोतरी की स्वीकार्यता–यदि सेवा नियम सीधी भर्ती के माध्यम तथा पदोन्नति के माध्यम से किसी पद को भरने के लिए उपबन्ध करते हैं या परिस्थितियां प्राधिकार देती है तो ए.सी.पी. वेतन स्तर तथा/या वेतन की बढोतरी के लाभ उसी पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये ज्येष्ठ सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय होंगे जिस पर कनिष्ठ सीधी भर्ती सरकारी कर्मचारी उच्चतर ए.सी.पी. स्तर में वेतन ले रहा है। अधिकतम तीन वित्तीय अपग्रेडेशनों की शर्त का वर्जन नहीं होगा, तथापि, इस नियम के प्रयोजन के लिए संतोषजनक रिकार्ड तथा योग्यता इत्यादि की शर्त पूरी की जाएगी ए.सी.पी. स्तर तथा/या वेतन निम्नलिखित रीति में बढ़ाया जाएगा:–

(i) यदि ज्येष्ठ का मैट्रिक्स स्तर कनिष्ठ से निम्न है, तो स्तर बढ़ाया जाएगा;

(ii) यदि मैट्रिक्स का स्तर तथा वेतन दोनों निम्न हैं, तो स्तर तथा वेतन दोनों संतोषजनक रिकार्ड तथा पात्रता के अध्यधीन ए.सी.पी. स्तर प्रदान करने पर अनुज्ञेय सीमा तक बढ़ाया जाएगा।

13. सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर के लिए विशेष हकदारी.–

जहां सरकारी कर्मचारी एक पद से दूसरे पर पदोन्नति के बाद अपने संभावित वेतन तथा/या ए.सी.पी. स्तर से निम्न स्तर में वेतन ले रहा है जो उसको प्रथम/द्वितीय/तृतीय ए.सी.पी. स्तर में अनुज्ञेय हो जाएगा यदि वह पदोन्नत नहीं किया गया था, तो उसे विशेष हकदारी के रूप में पदोन्नत पद तथा ए.सी.पी. वेतन ढांचे तथा/या के संभावित वेतन तथा/या ए.सी.पी. स्तर में परिवर्तन के वेतन का अन्तर प्रदान किया जाएगा:

परन्तु ऐसे निम्न वेतन ढॉचे के साथ किसी पद पर ऐसी वृत्तिमूलक पदोन्नति इन नियमों के प्रयोजनों के लिए वित्तीय अपग्रेडेशन के रूप में नहीं गिना जाएगा।

14. ए.सी.पी. स्तर की हकदारी की समाप्ति.–

(1) कोई सरकारी कर्मचारी जो पदानुक्रम की लाईन में अपनी पदोन्नति छोड़ देता है या किसी आधार चाहे जो भी हो पर फीडर पद पर अपनी स्वयं की सहमति पर पदावनति चाहता है तो संभावित वेतन के बराबर जो अनुज्ञेय किया जाएगा यदि उसे तृतीय/द्वितीय/प्रथम ए.सी.पी. स्तर, जैसी भी स्थिति हो, प्रदान नहीं किया गया था के बराबर.–

(क) तृतीय ए.सी.पी. स्तर में वेतन लेते समय द्वितीय ए.सी.पी. स्तर में वेतन पुनः नियत किया जाएगा;

(ख) द्वितीय ए.सी.पी. स्तर में वेतन लेते समय प्रथम ए.सी.पी. स्तर में वेतन पुनः नियत किया जाएगा;

(ग) प्रथम ए.सी.पी. स्तर में वेतन लेते समय समय वृत्तिमूलक वेतन ढांचे में वेतन पुनः नियत किया जाएगा।

(2) यदि ऐसा सरकारी कर्मचारी पदोन्नति स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसे मामले में न्यूनतम एक वर्ष के अध्यधीन छोड़ी गई पदोन्नति/पदावनति की तिथि तथा पदोन्नति स्वीकार करने के लिए तैयारी करने हेतु आवेदन की तिथि के बीच सेवा की अवधि ए.सी.पी. स्तर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए नियमित संतोषजनक सेवा से निकाल दी जाएगी। पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करने पर वेतन छोड़ी गई पदोन्नति या सामान्य नियमों के अधीन पदोन्नत पद के वेतन के नियतन, जो भी उच्चतर हो से ठीक पूर्व ए.सी.पी. वेतन ढांचे में दिये जा रहे वेतन के बराबर पुनः नियत किया जाएगा;

परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाही गई एक बार स्वीकार की गई पदोन्नति या छोड़ी गई पदोन्नति के लिए अनुरोध वापिस नहीं लिया जाएगा, किसी सरकारी कर्मचारी ने एक बार अपनी पदोन्नति छोड़ दी है या फीडर पद पर पदोन्नति मांगी है तो ऐसी छोड़ी गई पदोन्नति ली गई पदोन्नति न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अवधि तक वह पदोन्नति के लिए अपने नाम पर पुनः विचार के लिए लिखित में देता है, जो भी बाद हो, लागू रहेगी।

15. पदों का ए.सी.पी. स्तर. –

इन नियमों के प्रयोजन के लिए ए.सी.पी. स्तर नीचे दिये गये के अनुसार होंगेः–

(क) काडर विशिष्ट सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम के मामले में पुनरीक्षित सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर अनुसूची 1 के भाग । में यथा वर्णित होगा।

(ख) सामान्य सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम के मामले में पुनरीक्षित वेतन स्तर अनुसूची । के भाग ।। में यथा विनिर्दिष्ट होगाः

परन्तु उन पदों की दशा में, जिनके लिए वृतिमूलक वेतन ढांचे प्रथम जनवरी, 2016 को या उससे पूर्व पुनरीक्षित उपांतरित किये गये है तो इस नियम के प्रयोजन के लिए इस प्रकार पुनरीक्षित वेतनमानों को इन पदों का वृत्तिमूलक वेतनमानों के रूप में समझा जाएगा।

16. पुनरीक्षित सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में वेतन लेने.–

इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई सरकारी कर्मचारी उसके मामले में यथा लागू पुनरीक्षित ए.सी.पी. स्तर में अर्थात प्रथम सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर या द्वितीय सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर या तृतीय सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में वेतन लेंगेः

परन्तु सरकारी कर्मचारी तब तक वर्तमान वेतन ढांचे में वेतन लेता रहेगा, जब तक वह उस तिथि को उसी वर्तमान वेतन ढांचे में अगली वेतनवृद्धि अर्जित करता है अथवा जब तक वह अपना पद खाली करता है अथवा उस वर्तमान वेतन ढांचे में वेतन लेना बंद कर देता हैः

परन्तु यह और कि उन मामलों जहां किसी सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2016 से प्रथम दिन और इन नियमों की अधिसूचना की तिथि के बीच सुनिश्चित जीविका प्रगति प्रदान की गई है तो ऐसी सुनिश्चित जीविका प्रगति के प्रदान करने की तिथि या प्रथम जुलाई 2016, जैसी भी स्थिति हो, से संशोधित वेतन ढांचे में परिवर्तन के लिए चयन कर सकता है।

व्याख्याः 1 इस नियम के परन्तुक के अधीन वेतनमान वेतन ढांचा रखने के लिए विकल्प केवल एक वेतन ढांचे के लिए अनुज्ञेय होगा।

व्याख्याः 2 जहां किसी पद के ए.सी.पी. ग्रेड वेतन प्रथम जनवरी, 2016 से और अधिसूचना की तिथि की अवधि के बीच ऐसे पद के कर्मचारी को प्रदान किये गये ए.सी.पी. वेतन ढांचे के विलीन के रूप में बढ़ाया गया है, तो ए.सी.पी. वेतन ढांचे के प्रदान करने की तिथि या प्रथम जुलाई, 2016 से संशोधित वेतन ढांचे के लिए चयन कर सकता है किन्तु उस मामले में पद के 31 दिसम्बर, 2015 को ए.सी.पी. वेतन ढांचे में विकल्प की तिथि को अनुज्ञेय विद्यमान मूल वेतन को संशोधित ए.सी.पी. वेतन ढांचे में वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

व्याख्याः 3 उपरोक्त विकल्प जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को या के बाद प्रथम बार के लिए किसी व्यक्ति को प्रदान की गई ए0सी0पी0 के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन ढांचे में अनुज्ञात होगा।

17. विकल्प का प्रयोग.–

(1) नियम 16 के उपबंधों के अधीन विकल्प इन नियमों से संलग्न प्ररूप में लिखित में किया जाएगा ताकि उप नियम (2) में वर्णित प्राधिकारी के पास तीन मास के भीतर पहुंच जाएः–

(क) इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से ; या

(ख) तिथि जहां वेतन ढांचे में पुनरीक्षण तथा/या वेतन का नियतन भूतलक्षी प्रभाव से इन नियमों की अधिसूचना की तिथि के बाद किसी आदेश द्वारा किया गया हैः

परन्तु–

(i) उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जो ऐसी अधिसूचना की तिथि को या ऐसे आदेश की तिथि को, जैसी भी स्थिति हो, भारत के बाहर या तो छुट्टी पर था या प्रतिनियुक्ति पर था या विदेशी सेवा में था तो उक्त विकल्प लिखित में किया जाएगा ताकि उक्त प्राधिकारी को भारत में अपने पद का कार्य ग्रहण करने की तिथि के तीन मास के भीतर पहुंच जाए; तथा

(ii) जहां सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को निलम्बनाधीन है विकल्प उसके ड्यूटी की वापिसी की तिथि के तीन मास के भीतर प्रयोग किया जाएगा यदि वह तिथि इस उप–नियम में विहित तिथि से बाद की है।

(2) विकल्प की सूचना सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालयाध्क्ष को इन नियमों से संलग्न प्ररूप में वचनबद्धता सहित दी जाएगी।

(3) यदि विकल्प के संबंध में सूचना उप नियम (1) में वर्णित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से संशोधित ए.सी.पी. वेतन ढांचे द्वारा शासित किये जाने के लिए चयन किया गया समझा जायेगा।

(4) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा।

टिप्पण 1– व्यक्ति जिनकी सेवाएं प्रथम जनवरी, 2016 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई थी तथा जो मृत्यु, स्वीकृत पद की समाप्ति पर सेवामुक्त, त्यागपत्र, पदच्युति अथवा अनुशासनिक कार्रवाई आधार पर सेवा से हटाए जाने के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना विकल्प नहीं दे सके थे उप नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए हकदार होंगे।

टिप्पण 2– व्यक्ति जिनकी मृत्यु जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को या उसके बाद हो गई थी और संशोधित वेतन ढांचे के लिए विकल्प निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं चुन सके थे तो विकल्प का प्रयोग जनवरी 2016 के प्रथम दिन को तथा से या बाद की ऐसी तिथि जो उनके आश्रितों के लिए ज्यादा लाभदायक है संशोधित वेतन ढांचे के लिए किया गया विकल्प समझा गया है, यदि संशोधित वेतन ढांचा अधिक हक में हो, तो ऐसे मामलों में वेतन बकाया को भुगतान के लिए विभागध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

टिप्पणी 3– ऐसे व्यक्ति जो जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को अर्जित छुट्टी या किसी अन्य छुट्टी पर थे जो उन्हें छुट्टी वेतन के लिए हकदार बनाती थी उप–नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए हकदार होंगे।

18. संशोधित ए.सी.पी. वेतन ढांचे में वेतन का नियतन .–

कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी जो जनवरी 2016 के प्रथम दिन को या से संशोधित ए.सी.पी. वेतन ढांचा शासित किये जाने वाले नियम 17 के अधीन चयन करता है या चयन किया गया समझा गया है को वेतन निम्नलिखित रीति में नियत किया जाएगा अर्थातः–

(क) ए.सी.पी. स्कीम के अधीन आने वाले सभी कर्मचारियों की दशा में,

(i) वेतन मैट्रिक्स में लागू ए.सी.पी. स्तर में वेतन 2.57 के गुणक द्वारा विद्यमान मूल वेतन से गुणा करते हुए प्राप्त किया गया वेतन होगा, नजदीकी रुपये का पूर्णांक में तथा इस प्रकार आने वाली राशि उस ए.सी.पी. स्तर में निर्धारित की जाएगी तथा ऐसी एक समान राशि लागू ए.सी.पी. स्तर में किसी सेल के समरूप है तो वहीं वेतन होगा, तथा

(ii) यदि ऐसा कोई भी सेल लागू ए.सी.पी. स्तर में उपलब्ध नहीं है, तो वेतन उस लागू ए.सी.पी. स्तर में ठीक अगले उच्चतर सेल में नियत किया जाएगा। यदि न्यूनतम संशोधित ए.सी.पी. स्तर उपरोक्त (i) के अनुसार प्राप्त की गई राशि से अधिक है तो वेतन न्यूनतम संशोधित ए.सी.पी. स्तर पर नियत किया जाएगा;

जहां किसी सरकारी कर्मचारी को किसी पद जिसका ग्रेड वेतन उच्चतर ग्रेड वेतन में विलीन या अपग्रेड किया गया है पर प्रथम जनवरी 2016 से तथा अधिसूचना की तिथि की अवधि के बीच ए.सी.पी. प्रदान किया गया है प्रथम जनवरी 2016 के बाद की तिथि से संशोधित वेतन ढांचे के लिए चयन करता है किन्तु उनके

मामलें में विकल्प की तिथि को उन द्वारा धारित पद के 31 दिसम्बर, 2015 को वेतन ढांचा हिसाब में लिया जाएगा ।

(ख) उन कर्मचारियों की दशा में जो वर्तमान वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे हैं जिनकी किसी विषेश वेतन/भत्ता के बिना वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए सिफारिश की गई है, तो उपरोक्त (क) के उपबंधों के अनुसार संशोधित वेतन ढांचे में नियत किया जाएगा;

(ग) उन कर्मचारियों की दशा में जो वर्तमान वेतनमान में वेतन जैसे छोटे परिवार मानदण्ड को उन्नत करने के लिए वैयक्तिक वेतन इत्यादि के अतिरिक्त किसी अन्य नाम पद्वति से विषेश वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा उन मामलों में उसे उसी दर पर या विभिन्न दर पर समरूपी भत्ता/वेतन सहित संशोधित ढांचे में बदला गया है, तो संशोधित ढांचे में वेतन उपरोक्त खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार नियत किया जाएगा । ऐसे मामलों में यथा अनुमोदित नई दर पर भत्ता इन भत्तों से सम्बन्धित सुसंगत अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट तिथि से वेतन के संशोधित ढांचे में वेतन के अतिरिक्त प्राप्त करेंगे ।

(घ) चिकित्सा अधिकारियों की दशा में जिनके सम्बन्ध में गैर व्यवसाय भत्ता अनुज्ञेय है, संशोधित ए.सी.पी. वेतन ढांचे में वेतन निम्नलिखित रीति में नियत किया जाएगा अर्थात्:–

(i) विद्यमान मूल वेतन 2.57 के गुणक द्वारा गुणा किया जाएगा तथा इस प्रकार आने वाली राशि प्रथम जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को अनुज्ञेय पूर्व संशोधित गैर व्यवसाय भत्ता पर महंगाई भत्ता के बराबर किसी राशि द्वारा जोड़ी जाएगी । इस प्रकार आने वाली राशि ए.सी.पी. स्तर में निर्धारित की जाएगी तथा यदि एक समान राशि लागू ए.सी.पी. स्तर में किसी सेल के समरूप है तो वही वेतन होगा तथा यदि ऐसा कोई भी सेल लागू ए.सी.पी. स्तर में उपलब्ध नहीं है तो वेतन, वेतन मैट्रिक्स उस पर लागू स्तर में ठीक अगले उच्चतर सेल में नियत किया जाएगा;

(ii) उक्त खण्ड (i) के अधीन इस प्रकार नियत किया गया वेतन विद्यमान मूल वेतन पर अनुज्ञेय पूर्व–संशोधित गैर व्यवसाय भत्ते द्वारा जोड़ा जाएगा जब तक आगे गैर व्यवसाय भत्ते की संशोधित दरों पर निर्णय नहीं हो जाता ।

टिप्पण 1.– कोई सरकारी कर्मचारी जो जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को अध्ययन छुट्टी सहित छुट्टी पर है तथा छुट्टी वेतन के लिए हकदार है तो जनवरी 2016, के प्रथम दिन या संशोधित वेतन ढांचे के लिए विकल्प की तिथि से संशोधित ए.सी.पी. वेतन ढांचे में वेतन के लिए हकदार होगा ।

टिप्पण 2.– निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी की दशा में, वह विद्यमान वेतन ढांचे पर आधारित जीवन–निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा और संशोधित ए.सी.पी. वेतन ढांचे में उसका वेतन लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों पर किसी अंतिम आदेश या अन्यथा किसी अंतिम आदेश, जैसी भी स्थिति हो, के अध्यधीन होगा ।

टिप्पण 3.– जहां किसी सरकारी कर्मचारी की दशा में 'विद्यमान उपलब्धियां संशोधित उपलब्धियों से अधिक है तो अन्तर वेतन में भविष्य बढ़ोतरी में समाविष्ट किये जाने वाले वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुज्ञात होगा।

टिप्पण 4.– जहां कोई सरकारी कर्मचारी इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से ठीक पूर्व वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहा है जिसके साथ–साथ उसकी विद्यमान उपलब्धियों संशोधित उपलब्धियां से अधिक हो जाती है तो ऐसी अधिकता वाला अंतर ऐसे सरकारी कर्मचारी को वेतन में भविष्य में बढ़ोतरी समाविष्ट किए जाने वाले वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुज्ञात होगा ।

टिप्पण 5.– (क) जहां उप–नियम (1) के अधीन वेतन के नियतन में किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन जो विद्यमान ए.सी.पी. वेतन ढांचे में जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था उसी संवर्ग में उससे कनिष्ठ दूसरा सरकारी कर्मचारी अधिक वेतन लेता है तो ऐसे कनिष्ठ के उससे निम्नतर सेल में संशोधित ए.सी.पी. वेतन ढांचे में नियत किया जाता है तो उसका वेतन उसके कनिष्ठ के रूप में संशोधित वेतन ढांचे में उसी सेल तक बढ़ाया जाएगा ।

(ख) यदि जहां कोई ज्येष्ठ सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से पूर्व दिए गए ए.सी.पी. वेतन ढांचे में अपने कनिष्ठ जिसे जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को या के बाद ए.सी.पी. स्तर प्रदान किया गया है से संशोधित ए.सी.पी. वेतन ढांचे में कम वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी का वेतन उसके कनिष्ठ के लिए यथा नियत ए.सी.पी. वेतन ढांचे में वेतन के बराबर राशि को बढ़ाया जाएगा। बढ़ोतरी कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी को ए.सी.पी. स्तर प्रदान करने की तिथि से की जाएगी।

उपरोक्त (क) तथा (ख) के अधीन बढ़ोतरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगी, अर्थातः–

(i) दोनों कनिष्ठ तथा ज्येष्ठ सरकारी कर्मचारी एक ही संवर्ग के होने चाहिए तथा ए.सी.पी. वेतन ढांचा एक समान होना चाहिए,

(ii) निम्नतर तथा उच्चतर पद जिसमें वे वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं का वर्तमान वेतन ढांचा और संशोधित ए.सी.पी. वेतन ढांचा समान होना चाहिए;

(iii) वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी प्रथम, द्वितीय या तृतीय ए.सी.पी., जैसी भी स्थिति हो, लेते समय उस कनिष्ठ के बराबर या अधिक वेतन प्राप्त कर रहा होना चाहिए।

(iv) विसंगति प्रत्यक्षतः संशोधित वेतन ढांचे में ऐसी पदोन्नति पर वेतन नियतन को विनियमित करने वाले सिविल सेवा नियमों या किसी अन्य नियम या आदेश के उपबंध के लागूकरण के परिणामस्वरूप हैं:

परन्तु यदि कनिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत उपाय पर उसको प्रदान की गई किन्हीं अग्रिम वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियों) या अन्यथा के फलस्वरूप ज्येष्ठ से वर्तमान वेतन ढांचे में अधिक वेतन ले रहा था, तो इस उप–नियम के उपबंधों का आवहान ज्येष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने के लिए नहीं किया जायेगा ।

(ग) खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनः नियतन से सम्बन्धित आदेश हरियाणा सिविल सेवा नियमों के अधीन जारी किया जाएगा और ज्येष्ठ अधिकारी वेतन के पुनः नियतन की तिथि से अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने पर अगली वेतन–वृद्धि के लिए हकदार होगा ।

टिप्पणः– प्रथम, द्वितीय या तृतीय ए.सी.पी. स्तर, जैसी भी स्थिति हो, का प्रतिस्थापन वृत्तिमूलक पदोन्नति के कारण नहीं होता है किन्तु तीन प्रतिशत की दर से एक वेतन वृद्धि का लाभ ए.सी.पी. स्तर में अनुज्ञेय है । ए.सी.पी. वेतन ढांचे में वेतन लेते समय उच्चतर स्तर के एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति पर पदोन्नति की एक वेतन–वृद्धि का लाभ भी अनुज्ञेय होगा, तथापि, पदोन्नति का ऐसा लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पदोन्नत पद का स्तर ए.सी.पी. स्तर के समान है या ए.सी.पी. स्तर से निम्न है जिसमें सरकारी कर्मचारी पदोन्नति से पूर्व अपना वेतन ले रहा है ।

19. संशोधित ए.सी.पी. ढांचे में अगली वेतन वृद्धि की तिथि .–

(1) वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए दो तिथियां होंगी अर्थात् प्रथम जुलाई की विद्यमान तिथि के बजाय प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी और प्रथम जुलाई;

परंतु कोई कर्मचारी ए.सी.पी. अपग्रेडेशन प्रदान करने की तिथि पर निर्भर करते हुए या तो प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए हकदार होगाः

परंतु यह और की कोई सरकारी कर्मचारी जो प्रथम जुलाई या प्रथम जनवरी, जैसी भी स्थिति हो, को देय सामान्य वेतन वृद्धि की तिथि से पूर्व छह मास की अर्हक सेवा पूरी नहीं करता है, तो उसकी अगली वेतन वृद्धि की तिथि प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई में परिवर्तित हो जाएगी और स्वीकार्यता के अध्यधीन प्रदान की जाएगी

(2) जनवरी के द्वितीय दिन तथा जुलाई के प्रथम दिन (दोनों को मिलाकर) के बीच की अवधि के दौरान वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने पर किसी कर्मचारी के संबंध में वेतनवृद्धि किसी जनवरी के प्रथम दिन को प्रदान की जाएगी और जुलाई के द्वितीय दिन और जनवरी के प्रथम दिन (दोनों को मिलाकर) के बीच की अवधि के दौरान वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने पर किसी कर्मचारी के संबंध में वेतनवृद्धि जुलाई के प्रथम दिन को प्रदान की जाएगी।

(क) जुलाई, 2016 के द्वितीय दिन और जनवरी, 2017 के प्रथम दिन के बीच की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी को प्रदान की गई ए.सी.पी. की दशा में प्रथम वेतनवृद्धि जुलाई, 2017 प्रथम दिन देय होगी और उसके बाद यह एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

(ख) जनवरी, 2016 के द्वितीय दिन और जुलाई, 2016 के प्रथम दिन के बीच की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी को प्रदान की गई ए.सी.पी. की दशा में जो जुलाई, 2016 के प्रथम दिन को कोई वेतन वृद्धि नहीं लेता तो अगली वेतनवृद्धि जनवरी, 2017 के प्रथम दिन को देय होगी और उसके बाद यह एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

परन्तु ऐसे कर्मचारियों की दशा में, जिनका वेतन संशोधित ए.सी.पी. वेतन ढांचे में जनवरी के प्रथम दिन को नियत किया गया है, तो अगली वेतन वृद्धि उस स्तर में जिसमें वेतन जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को इस प्रकार नियत किया गया था जुलाई, 2016 के प्रथम दिन को देय होगीः

परन्तु यह और की जुलाई, 2016 के प्रथम दिन को वेतन वृद्धि लेने के बाद अगली वेतन वृद्धि जुलाई, 2017 के प्रथम दिन को देय होगी।

20. जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को पश्चात्वर्ती तिथि से वेतन का नियतन.–

जहां कोई सरकारी कर्मचारी वर्तमान वेतन ढांचे में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखता है तथा जनवरी, 2016 के प्रथम दिन के बाद की तिथि से संशोधित वेतन ढांचे में लाया गया है तो उसका वेतन संशोधित वेतन ढांचे में बाद की तिथि से नियम 18 के उप–नियम (1) के खण्ड (क) के अनुसार नियत किया जाएगा।

21. प्रथम जनवरी, 2016 को या के बाद ए.सी.पी. स्तर में रखने पर वेतन का नियतन.–

संशोधित ए.सी.पी. स्तर में एक स्तर से दूसरे में आने की दशा में, नियतन निम्न अनुसार किया जाएगाः–

(1) सरकारी कर्मचारी स्तर के सैल में एक वेतन वृद्धि जोड़ी जाएगी जिसमें वह ए.सी.पी. स्तर प्रदान करने से ठीक पूर्व वेतन प्राप्त कर रहा है और उसे ए.सी.पी. स्तर में इस प्रकार आई राशि के बराबर सैल में रखा जाएगा और

यदि कोई भी ऐसा सैल ए.सी.पी. स्तर उपलब्ध नहीं हैं, तो उसे उस ए.सी.पी. स्तर में अगले उच्चतर सैल में रखा जाएगा।

(2) ए.सी.पी. स्तर में वेतन लेते समय वेतन वृद्धि या अन्यथा के कारण पूर्व स्तर के संभावित वेतन में बढ़ोतरी पर, वर्तमान स्तर का वेतन पुनः नियत किया जाएगा मानों पदधारी को ऐसी बढ़ोतरी की तिथि को ए.सी.पी. स्तर प्रदान किया गया है यदि यह 19 जुलाई, 2016 से पूर्व लागू पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द–।, भाग । के नियम 4.14 (2) तथा 19 जुलाई, 2016 से लागू हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम 21 में यथा उपबंधित उसके लाभकर है।

22. वेतन के बकाया का भुगतान का ढंग.–

बकाया चालू वित वर्ष 2016–2017 के दौरान अधिमानतः नगदी में दिया जायेगा।

व्याख्याः–इस नियम के प्रयोजनों के लिए;

(क) सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में ''वेतन बकाया'' से अभिप्राय है निम्नलिखित के बीच अंतरः–

(i) वेतन तथा महंगाई भत्तों का पूर्णयोग जिसके लिए वह जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से प्रभावी अवधि के लिए इन नियमों के अधीन अपने वेतन के पुनरीक्षिण के कारण हकदार है; तथा

(ii) वेतन तथा महंगाई भत्तों का पूर्णयोग जिसके लिए वह उस अवधि, यदि उसका वेतन तथा भत्ता इस प्रकार संशोधित नहीं किया गया था, के लिए हकदार हो जाएगा (चाहे ऐसा वेतन और महंगाई भत्ता प्राप्त किया गया था या नहीं)

(ख) ग्रुप ग तथा घ कर्मचारियों को भुगतान किया गया प्रतिमास दो हजार रूपये की दर से अंतिरम राहत प्रथम जनवरी 2016 से बंद की जाती है और आगे प्रथम जनवरी 2016 से भुगतान की गई उनसे वसूल की जाएगी।

(ग) हरियाणा पुलिस तथा कारागार विभाग के कार्मिकों को अनुदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2013 द्वारा प्रदान किये जा रहे प्रतिमास 5000 रूपये (केवल पांच हजार रूपये) का जोखिम भत्ता ऐसे समय तक जारी रहेगा जब तक सरकार द्वारा पृथक रूप से ऐसे आदेश जारी न किये जाएं।

23. नियमों का अध्यारोही प्रभाव.–

सिविल सेवा नियम या इस संबध में बनाए गए किन्ही अन्य नियमों के उपबंध, ऐसे मामलों को जहां वेतन को इन नियमों के अधीन विनियमित किया जाता है, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक वे इन नियमों से असंगत हैं।

24. ढील देने की शक्ति.–

जहाँ सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि इन नियमों के सभी या किन्ही उपबंधों के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होती है तो वह आदेश द्वारा ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हए जो वह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण रीति में मामले को निपटाने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उनमें ढील दे सकती है।

टिप्पणः–इस नियम के अधीन इस प्रकार दी गई ढील सरकारी कर्मचारियों के ऐसे वर्ग तथा प्रवर्गों के गुणागुण पर निर्भर रहते हुए दी गई समझी जाएगी और इसलिए सरकारी कर्मचारियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग से पक्षपात के रूप में नहीं मानी जाएगी।

25. परिवर्धन या विलोपन इत्यादि करने की शक्ति.–

जहाँ सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि पदों के किसी वर्ग या प्रवर्गों में परिवर्धन या विलोपन करने या इन नियमों की अनुसूचियों में या (1) स्थाई रूप से या अस्थाई रूप से पदनाम तथा वेतन ढांचा बदलने की आवश्यकता है, तो सरकार ऐसी शर्तों को परिवर्धित करने या विलुप्त करने या बदलने में सक्षम होगी। इन नियमों के उपबंध ऐसे परिवर्धनों या विलोपों या परिवर्तनों को लागू होंगे जैसा सरकार विशिष्ट आदेशों द्वारा ऐसा निदेश करे या उसकी अनुपस्थिति में इन नियमों के सभी उपबंध लागू होंगे मानो परिवर्तन किए गए थे।

26. निर्वचन.–

इन नियमों के किन्ही उपबधों के निर्वचन व्याख्या पर यदि कहीं कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसे संबंध प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा।

27. अवशिष्टीय उपबंध प्रावधान.–

किसी सामान्य या विशेष परिस्थिति की दशा में जो इन नियमों के अधीन नहीं आते हैं या जिनके बारे में निश्चित असंगति ध्यान में आई हो तो मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और सरकार ऐसी परिस्थितियों के अधीन अनुसरण किए जाने वाली शर्तें विहित करेगी। सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी शर्तें इन नियमों का भाग समझी जाएगी। आगे, यदि, सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि इन नियमों के अधीन कतिपय अतिरिक्त शर्तों को विहित करने की आवश्यकता है तो सरकार ऐसी शर्तें विहित करेगी और इस नियम के अधीन सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी अतिरिक्त शर्तें इन नियमों का भाग समझी जाएगी।

अनुसूची क

ए0सी0पी0 वेतन मैट्रिक्स

₹ म

वेतन बैंड	–1एस, 4440–7440	पी0 बी0–1, 5200–20200					पी0 बी0–2, 9300–34800							पी0 बी0–3, 15600–39100					पी0 बी0–4, 37400–67000						**67000&79000** एच0 ए0 जी0
ग्रेड वेतन	जी0 पी0 1300 व 1400 को जी पी0 1650 में विलय कर दिया है	1800	1900	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4200	4600	4800	5400	6000	6400	6600	7600	8000	8700	8800	8900	9500	9800	10000	
प्रवेश वेतन (पी0 बी0 जमा जी0पी0 में वेतन)	6580	7000	7730	8460	9910	11360	12500	12900	13300	13500	17140	18150	20280	24600	25000	25350	29500	33110	46100	46200	46300	46900	47200	47400	67000
इण्डैक्स	2-57	2-57	2-57	2-57	2-57	2-57	2-57	2-57	2-57	2-62	2-62	2-62	2-62	2-67	2-67	2-67	2-67	2-67	2-57	2-57	2-67	2-67	2-67	2-72	2-72
स्तर	डी एल1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	16900	18000	19900	21700	25500	29200	32100	33200	34200	35400	44900	47600	53100	65700	66800	67700	78800	88400	118500	118700	123600	125200	126000	128900	182200
2	17400	18500	20500	22400	26300	30100	33100	34200	35200	36500	46200	49000	54700	67700	68800	69700	81200	91100	122100	122300	127300	129000	129800	132800	187700
3	17900	19100	21100	23100	27100	31000	34100	35200	36300	37600	47600	50500	56300	69700	70900	71800	83600	93800	125800	126000	131100	132900	133700	136800	193300
4	18400	19700	21700	23800	27900	31900	35100	36300	37400	38700	49000	52000	58000	71800	73000	74000	86100	96600	129600	129800	135000	136900	137700	140900	199100
5	19000	20300	22400	24500	28700	32900	36200	37400	38500	39900	50500	53600	59700	74000	75200	76200	88700	99500	133500	133700	139100	141000	141800	145100	205100
6	19600	20900	23100	25200	29600	33900	37300	38500	39700	41100	52000	55200	61500	76200	77500	78500	91400	102500	137500	137700	143300	145200	146100	149500	211300
7	20200	21500	23800	26000	30500	34900	38400	39700	40900	42300	53600	56900	63300	78500	79800	80900	94100	105600	141600	141800	147600	149600	150500	154000	217600
8	20800	22100	24500	26800	31400	35900	39600	40900	42100	43600	55200	58600	65200	80900	82200	83300	96900	108800	145800	146100	152000	154100	155000	158600	**224100**
9	21400	22800	25200	27600	32300	37000	40800	42100	43400	44900	56900	60400	67200	83300	84700	85800	99800	112100	150200	150500	156600	158700	159700	163400	
10	22000	23500	26000	28400	33300	38100	42000	43400	44700	46200	58600	62200	69200	85800	87200	88400	102800	115500	154700	155000	161300	163500	164500	168300	
11	22700	24200	26800	29300	34300	39200	43300	44700	46000	47600	60400	64100	71300	88400	89800	91100	105900	119000	159300	159700	166100	168400	169400	173300	
12	23400	24900	27600	30200	35300	40400	44600	46000	47400	49000	62200	66000	73400	91100	92500	93800	109100	122600	164100	164500	171100	173500	174500	178500	
13	24100	25600	28400	31100	36400	41600	45900	47400	48800	50500	64100	68000	75600	93800	95300	96600	112400	126300	169000	169400	176200	178700	179700	183900	
14	24800	26400	29300	32000	37500	42800	47300	48800	50300	52000	66000	70000	77900	96600	98200	99500	115800	130100	174100	174500	181500	184100	185100	189400	

15	25500	27200	30200	33000	38600	44100	48700	50300	51800	53600	68000	72100	80200	99500	101100	102500	119300	134000	179300	179700	186900	189600	190700	195100	
16	26300	28000	31100	34000	39800	45400	50200	51800	53400	55200	70000	74300	82600	102500	104100	105600	122900	138000	184700	185100	192500	195300	196400	201000	
17	27100	28800	32000	35000	41000	46800	51700	53400	55000	56900	72100	76500	85100	105600	107200	108800	126600	142100	190200	190700	198300	201200	202300	207000	
18	27900	29700	33000	36100	42200	48200	53300	55000	56700	58600	74300	78800	87700	108800	110400	112100	130400	146400	195900	196400	204200	207200	208400	213200	
19	28700	30600	34000	37200	43500	49600	54900	56700	58400	60400	76500	81200	90300	112100	113700	115500	134300	150800	201800	202300	**210300**	**213400**	**214700**	**219600**	
20	29600	31500	35000	38300	44800	51100	56500	58400	60200	62200	78800	83600	93000	115500	117100	119000	138300	155300	**207900**	**208400**					
21	30500	32400	36100	39400	46100	52600	58200	60200	62000	64100	81200	86100	95800	119000	120600	122600	142400	160000							
22	31400	33400	37200	40600	47500	54200	59900	62000	63900	66000	83600	88700	98700	122600	124200	126300	146700	164800							
23	32300	34400	38300	41800	48900	55800	61700	63900	65800	68000	86100	91400	101700	126300	127900	130100	151100	169700							
24	33300	35400	39400	43100	50400	57500	63600	65800	67800	70000	88700	94100	104800	130100	131700	134000	155600	174800							
25	34300	36500	40600	44400	51900	59200	65500	67800	69800	72100	91400	96900	107900	134000	135700	138000	160300	180000							
26	35300	37600	41800	45700	53500	61000	67500	69800	71900	74300	94100	99800	111100	138000	139800	142100	165100	185400							
27	36400	38700	43100	47100	55100	62800	69500	71900	74100	76500	96900	102800	114400	142100	144000	146400	170100	191000							
28	37500	39900	44400	48500	56800	64700	71600	74100	76300	78800	99800	105900	117800	146400	148300	150800	175200	196700							
29	38600	41100	45700	50000	58500	66600	73700	76300	78600	81200	102800	109100	121300	150800	152700	155300	180500	**202600**							
30	39800	42300	47100	51500	60300	68600	75900	78600	81000	83600	105900	112400	124900	155300	157300	160000	185900								
31	41000	43600	48500	53000	62100	70700	78200	81000	83400	86100	109100	115800	128600	160000	162000	164800	191500								
32	42200	44900	50000	54600	64000	72800	80500	83400	85900	88700	112400	119300	132500	164800	166900	169700	**197200**								
33	43500	46200	51500	56200	65900	75000	82900	85900	88500	91400	115800	122900	136500	169700	171900	174800									
34	44800	47600	53000	57900	67900	77300	85400	88500	91200	94100	119300	126600	140600	174800	177100	180000									
35	46100	49000	54600	59600	69900	79600	88000	91200	93900	96900	122900	130400	144800	180000	182400	185400									
36	47500	50500	56200	61400	72000	82000	90600	93900	96700	99800	126600	134300	149100	**185400**	**187900**	**191000**									
37	48900	52000	57900	63200	74200	84500	93300	96700	99600	102800	130400	138300	153600												
38	50400	53600	59600	65100	76400	87000	96100	99600	102600	105900	134300	142400	158200												
39	51900	55200	61400	67100	78700	89600	99000	102600	105700	109100	138300	146700	162900												
40	**53500**	**56900**	**63200**	**69100**	**81100**	**92300**	**102000**	**105700**	**108900**	**112400**	**142400**	**151100**	**167800**												

[1] डीएल ग्रुप घ के लिए स्तर को निर्दिष्ट करता है।

अनुसूची–I

भाग–I

संवर्ग विशेष ए.सी.पी. स्कीम

₹ में

क्रम संख्या	पद/संवर्ग का नाम	विद्यमान ए.सी.पी. वेतन ढॉचा			वेतन मैट्रिक्स के स्तर के अनुरूप 01.01.2016 से प्रभावी हैं।
		वेतन बैंड	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन (₹)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर तथा प्रथम सैल में लागू स्तर।
1	2	3			4
1.	हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी सेवाएं (कार्यकारी शाखा)	(i)15600–39100 (प्रवेश स्तरीय वेतन बैंड)	वेतन बैंड– 3	5400	एफ.पी.एल.–10 (56100)
		(ii)15600–39100 (पाँच वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त)	वेतन बैंड– 3	6000	ए.सी.पी.एल. 13 (65700)
		(iii)15600–39100 (संवर्ग पद का 30 प्रतिशत तक 10 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड– 3	7600	ए.सी.पी.एल. 16 (78800)
		(iv)37400–67000 (संवर्ग पद का 20 प्रतिशत तक 15 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड– 4	8700	ए.सी.पी.एल. 18 (118500)
2	हरियाणा पुलिस सेवा (पुलिस उप अधीक्षक)	(i)9300–34800 (प्रवेश स्तरीय वेतन बैंड)	वेतन बैंड– 2	5400	एफ.पी.एल.–9 (53100)
		(ii)15600–39100 (पाँच वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड– 3	6000	ए.सी.पी.एल. (65700)
		(iii)15600–39100 (संवर्ग पद का 20 प्रतिशत तक 11 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड –3	7600	ए.सी.पी.एल. 16 (78800)
		(iv)37400–67000 (17 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के पूरी करने पर 14300–18300 के पूर्व संशोधित उन्नत करने पर कार्यरत पद के 10 प्रतिशत संवर्ग तक जो 17 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके हैं, के लिए)	वेतन बैंड–4	8700	ए.सी.पी.एल. 18 (118500)

1	2	3			4
3.	आबकारी तथा कराधान अधिकारी	(i)9300–34800 (प्रवेश स्तरीय वेतन बैंड)	वेतन बैंड–2	5400	एफ.पी.एल. 9 (53100)
		(ii)15600–39100 (सीनियर स्केल) (7 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड–3	6000	ए.सी.पी.एल. 13 (65700)
		(iii)15600–39100 (चयन ग्रेड) (संवर्ग पद का 20 प्रतिशत तक 12 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड–3	7600	ए.सी.पी.एल. 16 (78800)
		(iv)37400–67000 (सुपर टाईम स्केल) (संवर्ग पद का 10 प्रतिशत तक जो संवर्ग में 17 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके हैं, के लिए)	वेतन बैंड–4	8700	ए.सी.पी.एल.–18 (118500)
4	हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवाएं				
	(i) चिकित्सा अधिकारी	(क) 15600–39100 (प्रवेश स्तरीय वेतन बैंड)	वेतन बैंड–3	5400	एफ.पी.एल.–10 (56100)
		(ख) 15600–39100 (संवर्ग में 5 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड–3	6000	ए.सी.पी.एल.–13 (65700)
		(ग) 15600–39100 (10 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड–3	7600	ए.सी.पी.एल.–16 (78800)
		(घ)37400–67000 (15 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड–4	8700	ए.सी.पी.एल.–18 (118500)
	(ii)एस.एम.ओ./मैडीकल सुपरीनटैंडेंट/उप–निदेशक/जिला कार्यक्रम अधिकारी	(क) 15600–39100	वेतन बैंड–3	7600	एफ.पी.एल.–12 (78800)
		(ख)37400–67000 (एस.एम.ओ. के रूप में 3 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड–4	8700	ए.सी.पी.एल.–18 (118500)
5	हरियाणा दंत सेवाएं				
	(i)दंत सर्जन	(क)9300–34800 (प्रवेश स्तरीय वेतन बैंड)	वेतन बैंड–2	5400	एफ.पी.एल.–9 (53100)
		(ख)15600–39100 (संवर्ग में 5 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड–3	6000	ए.पी.सी.एल.–13 (65700)

		(ग)15600–39100 (संवर्ग पद का 25 प्रतिशत तक 11 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड–3	7600	ए.पी.सी.एल.–16 (78800)
		(घ)37400–67000 (संवर्ग पद का 20 प्रतिशत तक 17 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड–4	8700	ए.पी.सी.एल.–18 (118500)
	(ii) वरिष्ठ दंत सर्जन	(क)15600–39100 (प्रवेश स्तरीय वेतन बैंड	वेतन बैंड–3	7600	एफ.पी.एल.–12 (78800)
		(ख) 37400–67000 दंत सर्जन और इससे ऊपर के पद के रूप में 17 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके हैं और ऐसे वरिष्ठ दंत सर्जन जो सीधे भर्ती हुए हैं और पद पर 6 वर्ष की सेवा या इससे अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं।	वेतन बैंड–4	8700	ए.पी.सी.एल.–18 (118500)
6	आयुष डाक्टर				
	ए.एम.ओ./एच.एम.ओ./ यू.एम.ओ./डी.ए.ओ./ सहायक निदेशक	(क) 9300–34800 (ए. एम.ओ./एच.एम.ओ. /यू.एम.ओ. प्रवेश स्तरीय वेतन ढॉचा)	वेतन बैंड–2	4800	एफ.पी.एल.–8 (47600)
		(ख) 9300–34800 (ए. एम.ओ./एच.एम.ओ. /यू.एम.ओ. संवर्ग में 7 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड–2	5400	ए.सी. पी.एल.–12 (53100)
		9300–34800 (डी.ए.ओ. का प्रवेश स्तरीय वेतन ढॉचा)	वेतन बैंड–2	5400	ए.सी.पी.एल.–9 (53100)
		(ग) 15600–39100 ए. एम.ओ./एच.एम.ओ. /यू.एम. ओ./डी.ए.ओ. के रूप में 12 वर्ष रु० 5400 ग्रेड वेतन में 5 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के या ए.एम.ओ./एच.एम. ओ./यू.एम. ओ./डी.ए. ओ. के संवर्ग पद की 20 प्रतिशत की सीमा (डी.ए.ओ. के रूप में 5 वर्ष) के उपरांत	वेतन बैंड–3	6000 विलय सहित 6600	ए.पी.सी.एल.–13 (65700)

		15600–39100 सहायक निदेशक का प्रवेश स्तरीय वेतन ढॉचा	वेतन बैंड–3	6000 विलय सहित 6600	एफ.पी.एल.–11 (67700)
		(घ)15600–39100 ए.एम.ओ./एच.एम.ओ./यू.एम. ओ./डी.ए.ओ. के रूप में 20 वर्ष रु 5400 ग्रेड वेतन में 13 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के या ए.एम.ओ./एच.एम. ओ./यू.एम.ओ./डी.ए. ओ. के संवर्ग पद की 20 प्रतिशत की सीमा (डी.ए.ओ. के रूप में 5 वर्ष) के उपरांत	वेतन बैंड–2	7600	ए.सी.पी.एल.–16 (78800)
7	हरियाणा पशु चिकित्सा सेवाएं पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सक/एस.डी.ओ. (ए. एच) उपनिदेशक	(क) 9300–34800 पशु चिकित्सक, शल्य चिकित्सक (ग्रुप ख) प्रवेश स्तरीय वेतन बैंड	वेतन बैंड–2	5400	एफ.पी.एल.–9 (53100)
		15600–39100 एस.डी. ओ. (ए.एच) (ग्रुप–क) के लिए प्रवेश स्तरीय वेतन बैंड	वेतन बैंड–3	5400	एफ.पी.एल.–10 (56100)
		(ख)15600–39100 शल्य चिकित्सक एस. डी.ओ.(ए.एच).के रूप में प्रवेश के बाद 5 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत)	वेतन बैंड–3	6000	ए.सी. पी.एल.–13 (65700)
		15600–39100 उपनिदेशक (प्रवेश स्तरीय वेतन बैंड)	वेतन बैंड–3	6000 (विलय सहित 6600)	एफ.पी.एल.–11 (67700)
		(ग) 15600–39100 शल्य चिकित्सक/ एस.डी.ओ. (एच) के संवर्ग प्रवेश के बाद तथा शल्य चिकित्सक/एस.डी.ओ. (ए. एच) उप–निदेशक के प्रवर्गों में कुल संवर्ग पदो के 25 प्रतिशत की सीमा तक 11 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त।	वेतन बैंड–3	7600	ए.सी. पी.एल.–16 (78800)
		(घ) 37400–67000 शल्य चिकित्सक/ एस.डी.ओ. (एच) के संवर्ग प्रवेश के बाद 17 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त तथा शल्य चिकित्सक/एस.डी.ओ.	वेतन बैंड–4	8700	ए.सी. पी.एल.–18 (118500)

		(ए. एच) उप–निदेशक के प्रवर्गों में कुल संवर्ग पदों के 25 प्रतिशत की सीमा तक।			
8	हरियाणा इंजीनियरिंग सेवाएं				
	(i)तीनों लोक निर्माण बी.एंड. आर सिंचाई, तथा जन स्वास्थ्य विभागों में ए.ई./ए.ई.ई/ एस.डी.ई./कार्यकारी अभियन्ता/एस.ई.	(क) 9300–34800 ए. ई/ एस.डी.ई. (ग्रुप ख) लोक निर्माण विभाग की तीनों विंग का प्रवेश स्तरीय वेतन ढाँचा	वेतन बैंड–2	5400	एफ.पी.एल.–9 (53100)
		15600–39100 (लोक निर्माण विभाग में तीनों विंग की ए.ई.ई.(ग्रुप क) के लिए प्रवेश वेतनमान)	वेतन बैंड–3	5400	एफ.पी.एल.–10 (56100)
		(ख) 15600–39100 एस.डी.ई../ए.ई/ए.ई.ई के रूप प्रवेश के बाद में 5 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त।	वेतन बैंड–3	6000	ए.सी. पी.एल.–13 (65700)
		15600–39100 एक्स ई. एन. (प्रवेश वेतनमान स्तरीय)	वेतन बैंड–3	6000 (6600 विल्य सहित)	एफ.पी.एल.–11 (67700)
		(ग) 15600–39100 एस.डी.ई./ए.ई./ए.ई.ई के रूप में प्रवेश ए.ईज./ए.ई.ईज, के बाद 11 वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त तथा ए.डी. ईज./एक्सीयन तथा एस.ईज के प्रवर्गों में कुल संवर्ग पदों के 25 प्रतिशत की सीमा तक।	वेतन बैंड–3	7600	ए.सी. पी.एल.–16 (78800)
		(घ) 37400–67000 (ऐसे अधीक्षक अभियंता सेवा में प्रवेश के बाद 17 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त तथा एस.डी. ईज./ए.ईज ईज,/ एक्सीयन तथा एस.ईज. के प्रवर्गों में संवर्ग पदों पर 20 प्रतिशत की कुल सीमा तक)	वेतन बैंड–4	8700	ए.सी. पी.एल.–18 (118500)
	(ii) पंचायती राज विभाग (इंजीनियरिंग विंग में एस.डी.ई. एक्सीयन एस.ई.)	(क) 9300–34800 पंचायती राज विभाग में एस.डी.ई. (ग्रुप ख) के लिए प्रवेश स्तरीय वेतनमान	वेतन बैंड–2	5400	एफ.पी.एल.–9 (53100)
		(ख) 15600–39100 एस.डी.ई. के रूप में प्रवेश के बाद 5 वर्ष	वेतन बैंड–3	6000	ए.सी.पी.एल.–13 (65700)

		की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत			
		15600–39100 एक्सीयन प्रवेश वेतन बैंड	वेतन बैंड–3	6000 (विलय सहित 6600)	एफ.पी.एल.–11 (67700)
		(ग) 15600–39100 एस.डी.ओ. के रूप में प्रवेश के बाद 11 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त तथा एस.डी. ईज./एक्सीयन तथा एस.ईज. के प्रवर्गों में संवर्ग पदो की कुल 25 प्रतिशत की सीमा तक।	वेतन बैंड–3	7600	ए.सी.पी.एल.–16 (78800)
		(घ) 37400–67000 एस.डी.ई. के रूप में प्रवेश के बाद 17 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त तथा एस.डी. ईज./एक्सीयन तथा एस.ईज. के प्रवर्गों में कुल संवर्ग पदों के 25 प्रतिशत की सीमा तक।	वेतन बैंड–4	8700	ए.सी.पी.एल.–18 (118500)
9	वास्तुकला विभाग मुख्य वास्तुविद् विभाग में, सहायक वास्तुविद/ वास्तुविद/वरिष्ठ वास्तुविद।	(क) 9300–34800 सहायक वास्तुविद के लिए प्रवेश स्तरीय वेतनमान	वेतन बैंड–2	5400	एफ.पी.एल.–9 (53100)
		(ख)15600–39100 सहायक वास्तुविद के रूप में प्रवेश के बाद 5 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त	वेतन बैंड–3	6600	ए.सी.पी.एल.–13 (65700)
		15600–39100 वास्तुविद प्रवेश वेतन बैंड	वेतन बैंड–3	6000 (विलय सहित 6600)	एफ.पी.एल.–11 (67700)
		(ग) 15600–39100 सहायक वास्तुविद के रूप में प्रवेश के बाद, तथा 11 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त सहायक वास्तुविद/ वास्तुविद /वरिष्ठ वास्तुविद के प्रवर्गों में कुल संवर्ग पदों के 20 प्रतिशत सीमा तक ।	वेतन बैंड–3	7600	ए.सी.पी.एल.–16 (78800)

		(घ) 37400–67000 सहायक वास्तुविद के रूप में प्रवेश के बाद तथा 17 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत सहायक वास्तुविद के संवर्गों में कुल संवर्ग पदो के 20 प्रतिशत की सीमा तक।	वेतन बैंड–4	8700	ए.सी.पी.एल.–18 (118500)
10	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग में ए.टी.पी./डी.टी.पी./एस.टी.पी.				
		(क) 15600–39100 नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग में ए.टी.पी. (ग्रुप क) के लिए प्रवेश स्तरी वेतनमान	वेतन बैंड–3	5400	एफ.पी.एल.–10 (56100)
		(ख) 15600–39100 ए.टी.पी. के रूप में प्रवेश के बाद 5 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत।	वेतन बैंड–3	6000	ए.सी.पी.एल.–13 (65700)
		15600–39100 डी.टी.पी. प्रवेश के स्तरीय वेतन बैंड	वेतन बैंड–3	6000 (विलय सहित 6600)	एफ.पी.एल.–11 (67700)
		(ग) 15600–39100 ए.टी.पी. के रूप में प्रवेश के बाद 11 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत तथा ए.टी.पी./डी.टी.पी./एस.टी.पी. के कुल प्रवर्गों के 25 प्रतिशत सीमित तक	वेतन बैंड–3	7600	ए.सी.पी.एल.–16 (78800)
		(घ) 37400–67000 ए.टी.पी. के रूप में प्रवेश के बाद 17 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरांत तथा ए.टी.पी./डी.टी.पी./एस.टी.पी. के कुल प्रवर्गों के 20 प्रतिशत सीमित तक	वेतन बैंड–3	7600	ए.सी.पी.एल.–16 (78800)
11	कृषि विभाग अभियांत्रिक संवर्ग ए.ए.ई/ए.ई./जे.डी./ए.डी.	(क) 9300–34800 कार्यात्मक स्तरीय वेतनमान वास्तुविद प्रवेश वेतन बैंड	वेतन बैंड–2	5400	एफ.पी.एल.–9 (53100)
		(ख) 15600–39100 ए.ए.ई. के रूप में प्रवेश के बाद 5 वर्ष की	वेतन बैंड–3	6000	ए.सी.पी.एल.–13 (65700)

		नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त।			
		(ग) 15600–39100 ए.ए.ई. के रूप में प्रवेश के बाद 11 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त तथा ए.ए.ई/ए.ई./जे.डी./ए.डी. के प्रवर्गों में कुल संवर्ग पदो के 25 प्रतिशत तक।	वेतन बैंड–3	7600	ए.सी.पी.एल.–16 (78800)
		(घ) 37400–67000 ए.ए.ई. के रूप में प्रवेश के बाद 17 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त तथा ए.ए.ई/ए.ई./जे.डी./ए.डी. के प्रवर्गों में कुल संवर्ग पदो के 25 प्रतिशत तक।	वेतन बैंड–4	8700	ए.सी.पी.एल.–18 (118500)
12	तकनीकी शिक्षा विभाग (i)प्राध्यापक (ग्रुप ख) प्रोग्रामर (शैक्षणिक) ऐकेडमिक	(क) 9300–34800 प्राध्यापक ग्रुप ख) प्रोग्रामर (शैक्षणिक) के लिए प्रवेश स्तरीय वेतन ढाँचा	वेतन बैंड–2	5400	एफ.पी.एल.–9 (53100)
		(ख) 15600–39100 प्राध्यापक/प्रोग्रामर (शैक्षणिक) के रूप में 6 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त	वेतन बैंड–3	6000	ए.सी.पी.एल.–13 (65700)
		(ग) 15600–39100 प्राध्यापक/प्रोग्रामर (शैक्षणिक) के रूप में 12 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त	वेतन बैंड–3	7600	ए.सी.पी.एल.–16 (78800)
		(घ) 15600–39100 प्राध्यापक/प्रोग्रामर (शैक्षणिक) के रूप में 17 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त	वेतन बैंड–3	8000	ए.सी.पी.एल.–17 (88400)
		(ड) 37400–67000 प्राध्यापक/ प्रोग्रामर (शैक्षणिक) के रूप में 20 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त प्राध्यापक (वर्ग ख) प्रोग्रामर (शैक्षणिक) के कुल स्वीकृत पदो के 15	वेतन बैंड– 4	8700	ए.सी.पी.एल. 18 (118500)

		प्रतिशत की सीमा तक।			
	(ii) कार्यशाला अधीक्षक (ग्रुप क)	(क) 15600–39100 कार्यशाला अधीक्षक (ग्रुप क) के लिए प्रवेश स्तरीय वेतन ढाँचा।	वेतन बैंड– 3	5400	एफ.पी.एल.–10 (56100)
		(ख) 15600–39100 कार्यशाला अधीक्षक (ग्रुप क) के रूप में 6 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त।	वेतन बैंड– 3	6000	ए.सी.पी.एल. 13 (65700)
		(ग) 15600–39100 कार्यशाला अधीक्षक (ग्रुप क) के रूप में 12 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त।	वेतन बैंड– 3	7600	ए.सी.पी.एल. 16 (78800)
		(घ) 15600–39100 कार्यशाला अधीक्षक (ग्रुप क) के रूप में 17 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त।	वेतन बैंड– 3	8000	ए.सी.पी.एल. 17 (118500)
		(ड) 37400–67000 कार्यशाला अधीक्षक के रूप में कार्यशाला अधीक्षक (ग्रुप क) के कुल स्वीकृत पदों के 15 प्रतिशत सीमित तक 20 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त।	वेतन बैंड– 4	8700	ए.सी.पी.एल. 18 (118500)
	(iii) वरिष्ठ प्राध्यापक	(क) 15600–39100 (वरिष्ठ प्राध्यापक के लिए के प्रवेश स्तरीय वेतन ढाँचा)	वेतन बैंड– 3	6000 (विलय सहित 6600)	एफ.पी.एल.–11 (67700)
		(ख) 15600–39100 (वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में 6 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त।	वेतन बैंड– 3	7600	ए.सी.पी.एल. 16 (78800)
		(ग) 15600–39100 (वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में 11 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त।	वेतन बैंड– 3	8000	ए.सी.पी.एल. 17 (88400)
		(घ) 37400–67000 (वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में 14 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त वरिष्ठ प्राध्यापक के कुल	वेतन बैंड– 4	8700	ए.सी.पी.एल. 18 (118500)

		स्वीकृत पदों के 15 प्रतिशत सीमा तक)			
	(iv)एच.ओ.डी. / जे.डी. (शैक्षणिक / टी.पी.डी.)	(क)15600–39100 (एच.ओ.डी. / जे.डी. (शैक्षणिक / टी.पी.डी.) के लिए प्रवेश स्तरीय वेतन ढाँचा ।	वेतन बैंड– 3	7600	एफ.पी.एल.–12 (78800)
		(ख) 15600–39100 (एच.ओ.डी. / जे.डी. (शैक्षणिक / टी.पी.डी.) के रूप में 4 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त।	वेतन बैंड– 3	8000	ए.सी.पी.एल. 17 (88400)
		(ग) 15600–39100 (एच.ओ.डी. / जे.डी. (शैक्षणिक / टी.पी.डी.) के रूप में 7 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के उपरान्त।	वेतन बैंड– 4	8700	ए.सी.पी.एल. 18 (118500)
13	गृह रक्षा विभाग वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी	(क)15600–39100	वेतन बैंड– 3	6000 (विलय सहित 6600)	एफ.पी.एल.–11 (67700)
	जिला कमांडैंट गृह रक्षा विभाग	(ख) 9300–34800	वेतन बैंड– 2	5400	एफ.पी.एल.–9 (53100)
		(ग) 15600–39100 (उन वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी और जिला कमांडैंट के लिए जिन्होंने कमांडैंट के रूप में और इससे ऊपर के पद पर कम से कम 11 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है, ओर वरिष्ठ स्टाफ अधिकारियों तथा जिला कमांडैंट के संयुक्त संवर्ग का 20 प्रतिशत तक)	वेतन बैंड– 3	7600	ए.सी..पी.एल.–16 (78800)
14	लोक निर्माण विभाग की तीनों शाखाएं, पंचायती राज और नगर एवं ग्राम आयोजना विभागों में कनिष्ठ अभियंता	(क) 9300–34800 (प्रवेश स्तरीय वेतन बैंड)	वेतन बैंड– 2	3600(4000 01.09.2014 से प्रभावी (विलय सहित 4200)	एफ.पी.एल.–6 (35400)
		(ख) 9300–34800 8 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी करने पर)	वेतन बैंड– 2	4000	ए.सी..पी.एल.–10 (44900)
		(ग) 9300–34800 (अतिरिक्त एस.डी.ई. के बदले पदनाम के साथ 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी करने पर)	वेतन बैंड– 2	5200	ए.सी..पी.एल.–12 (53100)

		(घ) 9300–34800 (अतिरिक्त एस.डी.ई. के बदले पदनाम के साथ 24 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी करने उपरान्त)	वेतन बैंड– 2	5400	ए.सी..पी.एल.–13 (65700)

टिप्पणः– एफ.पी.एल. कार्यात्मक वेतन स्तर को सूचित करना।

अनुसूची–।

भाग–।।

सामान्य ए.सी.पी. मैट्रिक्स

क्रम सख्या	01.01.2016 को कार्यात्मक वेतन ढाँचा	प्रथम ए.सी.पी. एल (8 वर्ष)	न्यूनतम ए.सी.पी. एल	द्वितीय ए.सी.पी.एल (16 वर्ष)	न्यूनतम ए.सी.पी.एल	तृतीय ए.सी.पी. एल (24 वर्ष)	न्यूनतम ए.सी.पी.एल
1	2	3		4		5	
1	1650	ए.सी.पी.एल–1 (1800)	18000	ए.सी.पी.एल–4 (2400)	25500	ए.सी.पी.एल–6 (3200)	32100
2	1800	ए.सी.पी.एल–4 (2400)	25500	ए.सी.पी.एल–6 (3200)	32100	ए.सी.पी.एल–7 (3600)	33200
3	1900	ए.सी.पी.एल–4 (2400)	25500	ए.सी.पी.एल–6 (3200)	32100	ए.सी.पी.एल–7 (3600)	33200
4	2000	ए.सी.पी.एल–4 (2400)	25500	ए.सी.पी.एल–6 (3200)	32100	ए.सी.पी.एल–7 (3600)	33200
5	2400	ए.सी.पी.एल–6 (3200)	32100	ए.सी.पी.एल–6 (3200)	33200	ए.सी.पी.एल–8 (4000)	34200
6	2800	ए.सी.पी.एल–6 (3200)	32100	ए.सी.पी.एल–7 (3600)	33200	ए.सी.पी.एल–8 (4000)	34200
7	3200	ए.सी.पी.एल–7 (3600)	33200	ए.सी.पी.एल–8 (4000)	34200	ए.सी.पी.एल–9 (4200)	35400
8	3600	ए.सी.पी.एल–8 (4000)	34200	ए.सी.पी.एल–9 (4200)	35400	ए.सी.पी.एल–10 (4600)	44900
9	4000	ए.सी.पी.एल–9 (4200)	35400	ए.सी.पी.एल–10 (4600)	44900	ए.सी.पी.एल–11 (4800)	47600
10	4200	ए.सी.पी.एल–10 (4600)	44900	ए.सी.पी.एल–11 (4800)	47600	ए.सी.पी.एल–12 (5400)	53100
11	4600	ए.सी.पी.एल–11 (4800)	47600	ए.सी.पी.एल–12 (5400)	53100	ए.सी.पी.एल–13 (6000)	65700
12	4800	ए.सी.पी.एल–12 (5400)	53100	ए.सी.पी.एल–13 (6000)	65700	ए.सी.पी.एल–14 (6400)	66800
13	5400	ए.सी.पी.एल–13 (6000)	65700	ए.सी.पी.एल–14 (6400)	66800	ए.सी.पी.एल–15 (6600)	67700
14	6000	ए.सी.पी.एल–14 (6400)	66800	ए.सी.पी.एल–15 (6600)	67700	ए.सी.पी.एल–16 (7600)	78800
15	6400	ए.सी.पी.एल–15 (6600)	67700	ए.सी.पी.एल–16 (7600)	78800	ए.सी.पी.एल–17 (8000)	88400
16	6600	ए.सी.पी.एल–16 (7600)	78800	ए.सी.पी.एल–17 (8000)	88400	ए.सी.पी.एल–18 (8700)	118500

17	7600	ए.सी.पी.एल–17 (8000)	88400	ए.सी.पी.एल–18 (8700)	118500	ए.सी.पी.एल–19 (8800)	118700
18	8000	ए.सी.पी.एल–18 (8700)	118500	ए.सी.पी.एल–19 (8800)	118700	ए.सी.पी.एल–20 (8900)	123600
19	8700	ए.सी.पी.एल–19 (8800)	118700	ए.सी.पी.एल–20 (8900)	123600	ए.सी.पी.एल–21 (9500)	125200
20	8800	ए.सी.पी.एल–20 (8900)	123600	ए.सी.पी.एल–21 (9500)	125200	ए.सी.पी.एल–22 (9800)	126000
21	8900	ए.सी.पी.एल–21 (9500)	125200	ए.सी.पी.एल–22 (9500)	126000	ए.सी.पी.एल–23 (10000)	128900
22	9500	ए.सी.पी.एल–22 (9800)	126000	ए.सी.पी.एल–23 (10000)	128900	ए.सी.पी.एल–24 (12000)	182200
23	9800	ए.सी.पी.एल–23 (10000)	128900	ए.सी.पी.एल–24 (12000)	182200	कोई भी ए.सी.पी. नहीं	कोई भी ए.सी.पी. नहीं
24	10000	ए.सी.पी.एल–24	182200	कोई भी ए.सी.पी. नहीं	कोई भी ए.सी.पी. नहीं	कोई भी ए.सी.पी. नहीं	कोई भी ए.सी.पी. नहीं
25	एच.ए.जी. 67000–79000	कोई भी ए.सी.पी. नहीं	कोई भी ए.सी.पी. नहीं	कोई भी ए.सी.पी. नहीं	कोई भी ए.सी.पी. नहीं	कोई भी ए.सी.पी. नहीं	कोई भी ए.सी.पी. नहीं

अनुसूची–II

विकल्प प्ररूप

(देखिए, नियम 17 (1))

(i) मैं ..... पहली जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान ढाँचे का चयन करता हूँ;

(ii) मैं ..... नीचे वर्णित तिथि तक अपने अधिष्ठायी/स्थानापन्न पद के विद्यमान वेतनमान पर बने रहने का चयन करता हूँ;

- मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि;
  पर मेरा वेतन बढ़ाने वाली पश्चात्वर्ती की तिथि .....;
  मैं विद्यमान वेतनमान में वेतन लेना छोड़ता हूँ या बंद करता हूँ .....;
  मेरी पदोन्नति की तिथि .....
  विद्यमान वेतनमान .....

  हस्ताक्षर .....

  नाम .....
  पद का नाम .....
  कार्यालय का नाम जिसमें नियोजित है .....

तिथि .....
स्थान .....

- जो लागू न हो, काटे जाने के लिए।

अनुबन्ध–I

{देखिए नियम 3 (ठ)}

हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति)

नियम–2016 के व्याख्यात्मक ज्ञापन

नियम–1

यह नियम स्वतः स्पष्ट है ।

इस नियम का उद्देश्य निम्नलिखित दो प्रकार की सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम प्रदान करना अर्थातः–

(1) विशेष श्रेणी के कर्मचारियों/काडरों के लिए काडर विशिष्ट सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम ।

(2) हरियाणा सरकार के सभी अन्य श्रेणी ए, बी, सी तथा डी के कर्मचारियों के लिए सामान्य सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम, जिन्हें स्कीम–I के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया ।

(3) उद्देश्य यह है कि कुछ निश्चित वर्षों की सेवा अवधि में पदोन्नति न होने के मामले में कर्मचारी प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय ए0सी0पी0 वेतन ढांचे के लिए पात्र होगा यद्यपि यह उसी पद में उत्तरदायित्व को संभालेगा । व्यवहारिक रूप से उसके इस कदम को पदोन्नति नहीं माना जाएगा और इस स्कीम का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को खत्म करना है, जो कार्यात्मक पदोन्नत पदों की गैर–उपलब्धता या गैर–आवश्यकता के परिणामस्वरूप होती है । ये नियम इस लिए बनाए गए हैं ताकि यह सुविधा सभी कर्मचारियों को समान परिस्थितियों में समान रूप से उपलब्ध हो । इस प्रकार यह वर्गीकरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने कैरियर के विभिन्न चरणों में उचित वित्तीय बढोतरी की आवश्यकता होती है यदि आवश्यकताएं उसे कार्यात्मक पदोन्नति के अवसरों की गैर उपलब्धता के कारण, कार्यात्मक पदोन्नति और वित्तीय बढोतरी के अवसरों की अनुमति नहीं देती ।

समस्त देश के सरकारी रोजगारों में व्यापक रूप से एक पद पर ठहराव की समस्या है। यह महसूस किया गया कि कर्मचारियों को संतोषजनक स्तर पर रखने के लिय यह आवश्यक है कि पदोन्नति अवसरों की कमी की इस सामान्य समस्या तथा इसके कारण वित्तीय लाभों की कमी को पर्याप्त रूप से सम्बोधित किया जाए ।

सुनिश्चित जीविका प्रगति की समस्त स्कीम व्यक्ति वेतन बढोतरी की स्वीकृति के बारे में है, जब व्यावहारिक परिस्थितियां उसे पदानुक्रम में आगे बढने की अनुमति नहीं देती । वह पहले की भांति अपने पद पर कार्यरत रहता है, परन्तु अपनी पात्रता के अनुरूप निर्धारित उच्च वेतन बैंड और ग्रेड वेतनमान पर आगे बढ जाता है। यहां यह विचार एक बुनियाद है कि कार्यात्मक पदोन्नति के अवसर के अभाव में उसके कैरियर के विभिन्न चरणों में उचित वित्तीय बढोतरी प्रदान की जा सकती है । इन नियमों का प्रयास पदों के पदानुक्रम को खण्डित किए बिना एक पद पर ठहराव को खत्म करना है। इस प्रकार श्रेणी ए, बी, सी और डी के राज्य सरकार के कर्मचारियों को निम्नलिखित ढंग से इस स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा ।

(i) यदि कर्मचारियों के पिछले आठ वर्षों की सेवा के दौरान पदोन्नति नहीं मिली है तो यह स्कीम उन्हें 8, 16 और 24 वर्षों की सेवा अवधि पूरी होने पर वित्तीय बढोतरी के अवसर उपलब्ध करवाएगी। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक कर्मचारी के सेवा रिकार्ड की 8, 16 और 24 वर्षों की सेवा अवधि पूरी होने पर समीक्षा की जा सकती है। यदि कैरियर के बिन्दुओं पर यह पाया जाता है कि उन्हें पिछले 8 वर्षों में पदोन्नत नहीं किया गया है तो उन्हें अगले उपलब्ध ग्रेड वेतन पर कांफ्रिंग (conferring) के रूप में वित्तीय उन्नयन दिया जा सकता है। यह स्वीकार्य ग्रेड वेतन इस रिपोर्ट की सारणी 13 के अनुसार होगा।

(ii) जब एक कर्मचारी को पदोन्नति मिलती है तो पदोन्नति के अनुरूप ए0सी0पी की स्वीकार्यता के उद्देश्य के लिए उसके पदोन्नत सवंर्ग पद पर यह सुनिश्चित करने के लिए विचार किया जाता है कि क्या वह उस पद पर ठहराव की स्थिति में है। उदाहरण के लिए यदि एक चपरासी लिपिक के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो उसके मामले की आठ और सोलह वर्षों के बाद लिपिक के रूप में समीक्षा की जाएगी तथा उसे लिपिक के वृत्तिमूलक स्तर के सन्दर्भ में ए0सी0पी0 दी जाएगी।

(iii) सामान्य सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम के अनुसार कोई कर्मचारी अपने कैरियर में अधिकतम तीन सुनिश्चित जीविका प्रगती प्राप्त कर सकता है। अभिप्राय यह है कि यदि कर्मचारी को उसके उस पद, जिस पर उसकी सीधी भर्ती की गई थी, में सुनिश्चित जीविका प्रगति अपग्रेडेशन मिली है तो पदोन्नति पद पर सुनिश्चित जीविका प्रगति की संख्या सुनिश्चित जीविका प्रगति की उसकी प्रारंभिक भर्ती के पद में मिली संख्या को समायोजित करने के बाद कम हो जाएगी। तथापि उच्च पद पर सीधी भर्ती सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम की हकदारी के लिए वंचित नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी शुरू में निम्न पद पर नियुक्त किया जाता है और बाद में सीधी भर्ती या वर्तमान कर्मचारी सीमित प्रतियोगिता द्वारा उच्च पद पर नियुक्त किया जता है तो वह सुनिश्चित जीविका प्रगति की पूर्ण सीमा का भी हकदार होगा।

इन नियमों के माध्यम से सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम निम्नलिखित के लिए प्रदान की जाती हैः–

(i) किसी विशेष स्तर में भर्ती किए गए प्रत्येक कर्मचारी को स्तर या पद जिस पर वह सीधी भर्ती के रूम में नया प्रवेशक भर्ती किया गया था के संदर्भ में निम्न स्तर में रेजिडैन्सी की विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर उसके सम्बन्धित और विशिष्ट उच्चतर स्तर में आने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ii) अगले उच्चतर स्तर में कार्यरत होने पर पदधारी उसके मूल पद के कर्त्तव्यों का उत्तरदायित्व संभालेगा और तब तक अपने पुराने पद पर कार्य करना जारी रहेगा जब तक वह वास्तव में उस पद के रिक्त होने के पश्चात उच्चतर स्तर पर पदोन्नत नहीं हो जाता ।

(iii) उच्चतर स्तर में नियुक्ति होने पर ही पर केवल वित्तीय लाभ होंगे ।

(iv) दी जाने वाली वित्तीय अपग्रेडेशनों की संख्या वेतनमान से गिनी जाएगी जहां कोई कर्मचारी सीधी भर्ती के आधार पर भर्ती किया गया था । इस स्कीम के अधीन वित्तीय अपग्रेडेशनों की संख्या का कठोरता से अनुपालन किया जाएगा तथा किसी ज्येष्ठ कर्मचारी के लिए इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय अपग्रेडेशन नहीं होगी कि किसी कनिष्ठ कर्मचारी ने उच्चतर स्तर प्राप्त किया है, यदि ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों समान परिस्थितियों के अधीन हैं ।

विद्यमान स्कीम निम्नलिखित विशेषताओं के लिए उपबंध करती हैं :–

(i) वर्गीकरण किसी निम्न वेतनमान ढांचे में सीधी भर्ती किए गए तथा किसी उच्चतर वेतनमान में सीधी भर्ती किए गए श्रेणीबद्ध भेदीकरण पर आधारित है । आगे यह सरकारी कर्मचारियों को सेवाकाल के आधार पर भेद करती है । उदाहरण के तौर पर किसी निम्न वेतन ढांचे में किसी उपयुक्त पात्र कर्मचारी को 8, 16 तथा 24 वर्षों की सेवा करने के बाद उच्चतर वेतन में प्रदान किया जा सकता है जबकि वह अभी तक उसी पद पर जिस पर वह भर्ती किया गया था । निरन्तर वृतिमूलक पद धारण कर रहा है । इसलिए पदानुक्रम में अगले पदोन्नत पद के लिए विहित वेतन ढांचे से निम्न पद में सेवा के 16 या 24, जैसी भी स्थिति हो, वर्ष पूरे करने के बाद वास्तव में किसी उच्चतर वेतन में रखा जाएगा । किन्तु वह ऐसे उच्चतर पद के विरूद्ध जो कि अगला पदोन्नत पद जिस पर किसी कर्मचारी को इन नियमों के अधीन सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतन ढांचों का लाभ दिया गया है किसी भिन्न सिद्धांत पर आधारित है, सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की अपेक्षा भिन्न वर्ग या प्रवर्ग को गठित करता है ।

(ii) खोजे गए उद्देश्य द्वारा किसी कर्मचारी की वित्तीय क्षतिपूर्ति करना है जो 8, 16 तथा 24 वर्ष के उदाहरण के मामले में किसी निम्न पद किसी पदोन्नति के बिना स्थिर वेतन पर है। ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए उच्चतर पदानुक्रम में पद सृजित करने के लिए कोई वृतिमूलक अपेक्षा नहीं है। इसलिए उन्हें क्षतिपूर्ती के रूप में उच्चतर ग्रेड वेतन अनुज्ञात किए जा रहे हैं उपरोक्त (i) में स्पष्ट किया गया वर्गीकरण इस उद्देश्य को पूरा करता है तथा इसलिए इन नियमों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला खोजा गया उद्देश्य से एक युक्तिमूलक सम्बन्ध रखने वाला है ।

नियम 2. यह नियम कर्मचारियों के उन प्रवर्गों को अधिकथित करता है जिनको यह नियम लागू होते हैं । इस नियम के उपनियम–(2) के अधीन निकाले गए प्रवर्गों के सिवाय हरियाणा सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में सेवारत हरियाणा सरकार को नियम बनाने की शक्ति के अधीन नियुक्त किए गए सभी सरकारी कर्मचारियों तथा उन कर्मचारियों जिनका वेतन हरियाणा राज्य की संचित निधि में विकलनीय है और यह नियम लागू हैं ।

नियम 3. यह नियम स्वतः व्याख्यात्मक हैः–

आगे इस नियम के अधीन जहां कहीं भी अथवा इन नियमों के सम्बन्ध में जारी किए गए किसी अन्य नियम/अनुदेश/आदेश/अधिसूचनाएं आदि में वर्णित परभिाषित शब्द, इस नियम के अधीन यथाविहित परिभाषित शब्दों का तब तक ऐसे अर्थ के रूप में लिया जाएगा जब तक कि ऐसे शब्द के अर्थ के रूप में इन नियमों अथवा किसी अन्य नियम/अनुदेश/आदेश/अधिसूचना आदि, जैसी भी स्थिति हो, जब तक कि कोई भिन्न परिभाषा विहित नहीं की जाती है ।

नियम 4. यह नियम स्वतः व्याख्यात्मक है।

नियम 5. यह नियम स्वतः व्याख्यात्मक है।

नियम 6. यह नियम स्वतः व्याख्यात्मक है।

नियम 7 और 8–ये नियम स्वतः व्याख्यात्मक है।

ये नियम उन शर्तों को वर्णित करते हैं जो इन नियमों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा पूरी करनी आवश्यक होती है ।

नियम 9 और 10–ये नियम स्वतः व्याख्यात्मक है।

सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतन ढांचे का उद्देश्य केवल एक पद पर ही स्थिरीकरण के वित्तीय परिणामों को समाप्त करना है।

नियम 11–ये नियम स्वतः व्याख्यात्मक है।

यह नियम इन नियमों के अधीन बढाए जाने वाले लाभ को देने के प्राधिकार को अधिकथित करता है। यह आगे उन सरकारी कर्मचारियों के प्रवर्गों को छूट प्रदान करता है जिनको भूतकाल में पहले अनुज्ञेय लाभ दिया जा चुका है। ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में पात्रता नए सिरे से निर्धारित नहीं की जाती है या लाभ देने के लिए कोई औपचारिक आदेश अलग से पारित नहीं किया जाता है। तथापि, इन नियमों के अधीन उपबंधित प्रयोजनों के लिए तथा पुनरीक्षित वेतनमान देने तथा वेनमान में रखने के लिए तथा अन्य सभी प्रयोजनों के लिए वे इन नियमों में अधिकथित शर्तों द्वारा शासित किए जाएंगे।

नियम 12–यह नियम स्वतः व्याख्यात्मक है।

नियम 13–यह नियम स्वतः व्याख्यात्मक है।

इस नियम का उद्देश्य ऐसे मामलों में विकृतियों को दूर करना है जहां यदि कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया गया है, तो वह बेहतर वित्तीय लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा ।

नियम 14–यह नियम स्वतः व्याख्यात्मक है।

यह नियम उपबंध करता है कि इन नियमों का लाभ अधिकार के रूप में नहीं दिया जाता है बल्कि पदानुक्रम में पदों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप उनके विरूद्ध पदोन्नत किए गए ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए तथा जिम्मेदारी तथा हैसियत की धारणा पर आधारित वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त करने के फलस्वरूप दिया गया है। इसलिए पदानुक्रम में पदोन्नति सम्बन्धी पदों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता के फलस्वरूप लिए गए लाभ के बाद यदि कोई पदोन्नति को छोड देता है तथा उसके द्वारा उच्चतर जिम्मेदारी लेने से इन्कारी की जाती है तो वह इन नियमों के लाभों का हकदार नही होगा।

नियम 15–यह नियम स्वतः व्याख्यात्मक है।

नियम 16–यह नियम स्वतः व्याख्यात्मक है।

नियम 17–यह नियम उस रीति को विहित करता है जिसमें विकल्प का प्रयोग किया जाना है तथा प्राधिकारी को भी जो ऐसे विकल्प से अवगत होना चाहिए। विकल्प का इन नियमों से सलंग्न समुचित प्ररूप पर प्रयोग किया जाना है। यह आगे भी ध्यान देना चाहिए कि किसी सरकारी कर्मचारी के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग करे। लेकिन यह भी सुनिश्चित करे कि यह सरकारी तौर पर तथा विहित प्ररूप में लिखित रूप में समय सीमा के भीतर विहित प्राधिकारी के पास पहुंच जाए। उन व्यक्तियों के मामले में जो इन नियमों के अधिसूचित होने के समय पर अवकाश पर या प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा में हैं, अवधि जिसमें विकल्प का प्रयोग किया जाना है उस तिथि से तीन मास के भीतर जिसको वे पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। यह फिर स्पष्ट किया जाता है कि अनाधिकृत अनुपरिस्थति ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो छुट्टी पर हैं, के लिए इन नियमों के अधीन दी गई राहत प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी को हकदार नहीं बनाएगी। तीन मास की अवधि उस तिथि से गिनी जाएगी जिसको स्वीकृत अवकाश समाप्त होता है। कोई भी अन्य अत्यावश्यकता उपर्युक्त राहत देने के लिए ऐसे सरकारी कर्मचारियों को समर्थ नहीं बनाएगी।

ऐसे व्यक्ति जो प्रथम जनवरी, 2016 और इन नियमों के जारी होने की तिथि के बीच सेवानिवृत हो गए हैं, भी विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं।

नियम 18– यह नियम प्रथम जनवरी, 2016 को पुनरीक्षित वृत्तिमूलक में वेतन के वास्तविक वेतन नियतन से सम्बन्धित है। इन नियमों के प्रयोजन के लिए इस नियम के अधीन प्रक्रिया तथा किसी अन्य भिन्न नियम के अधीन कोई अन्य प्रक्रिया अपनाई नहीं जाएगी। ऐसी रीति को दर्शाने वाले कुछ उदाहरण जिनमें सरकारी कर्मचारी का वेतन इन नियमों में दिए गए टिप्पणों के अधीन वेतन की अनुज्ञेय बढोतरी के अध्यधीन इस नियम के अधीन नियत किया जाएगा, जो नीचे दिए गए हैं :–

नियम 19 और 20– ये नियम उस रीति को विहित करते हैं जिसमें नये वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि विनियमित की जाएगी। इस नियम के परन्तुकों के द्वारा इस नियम के मूल भाग के द्वारा प्रचलन द्वारा कनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के उनके वरिष्ठ कर्मचारियों से अधिक वेतन लेने की विसंगति को दूर करने का आशय है।

तथापि इन नियमों का लाभ, पदों के लिए विहित वृत्तिमूलक वेतनमानों में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों के वेतन के सम्बन्ध में दिया जाएगा ।

नियम –21 तथा 22 ये नियम स्वतः व्याख्यात्मक है ।

नियम –23–यह नियम उन नियमों के अध्यरोही प्रभव से सम्बन्धित जो उपबन्ध करते हैं कि इन नियमों के उपबन्ध इन नियमों में यथाविहित तथा इन नियमों के उपबन्धों तथा किन्ही अन्य नियमों के अपबन्धों के बीच किसी असंगतता की सीमा तक विनियमित होंगे तथा किसी अन्य नियम के उपबन्धों की शर्तो को विनियमित नहीं करेंगे, इन नियमों के उपबन्ध अभिभावी होंगे तथा लागू होंगे ।

नियम–24 यह नियम स्वतः व्याख्यात्मक है ।

यह सम्भावना हो सकती है कि ये नियम किसी विशेष मामले में अथवा पदों के किसी वर्ग या प्रवर्ग में कुछ कठिनाई पैदा कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में नियमों के उपबन्ध स्पष्ट हैं कि कुछ कठिनाई के अस्तित्व के बारे में प्रार्थना की गई है और यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है, जो कि ढील दिए जाने के लिए अपेक्षित है। ऐसी कठिनाई में भी व्यक्तिगत मामलों में अथवा कर्मचारियों के वर्ग तथा प्रवर्ग के मामलों में जहां ऐसी कठिनाई ढील देने के लिए उचित पाई जाती है, गुण के आधार पर होगी। इसलिए ऐसी कठिनाई का हटाया जाना सरकारी कर्मचारियों के किसी अन्य वर्ग अथवा प्रवर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जहां ऐसी कठिनाईयां या तो पाई नहीं गई हैं अथवा ढील देने के लिए उचित नहीं पाई जाती हैं।

नियम–25 यह नियम स्वतः व्याख्यात्मक है ।

यदि परिस्थितियां इस प्रकार अपेक्षित हैं, सरकार प्रथम अनुसूची में यथावर्णित किसी पैरामीटर को जोड सकती है अथवा हटा सकती है, जिसमें से नियमों के उपबन्ध ऐसे परिवर्तनों पर या तो सामान्य तौर पर या विशेष तौर पर लागू होते हैं। किन्तु इन नियमों के अधीन अधिकथित उपबन्धों का लागू होना किसी सामान्य अथवा विशेष निर्देशन की अनुपस्थिति की दशा में यह समझा जाएगा कि सम्पूर्ण नियम ऐसे परिवर्तनों पर लागू होंगे ।

नियम–26 यह नियम स्वतः व्याख्यात्मक है ।

नियम–27 यह नियम स्वतः व्याख्यात्मक है ।

उदाहरण–1

श्री क को नए प्रवेशक के तौर पर लिपिक के पद पर (सीधी भर्ती के द्वारा) दिनांक 05.08.2010 को वेतन बैंड–I, 5200–20200, ग्रेड वेतन–1900/– में भर्ती किया गया था और वह उसी पद पर काम कर रहा है तथा कोई वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त नहीं किया है। वह दिनांक 04.08.2018 को 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करेगा और दिनांक 01.09.2018 (आगामी मास के प्रथम दिन से, जिसमें वह 8 वर्ष की अपेक्षित सेवा पूर्ण करता है) से प्रथम ए0सी0पी0 के लिए हकदार होगा। वह एफ0पी0एल0–2 में वेतन प्राप्त करेगा और उसका वेतन ए0सी0पी0 स्तर–4 में निम्न रूप में नियत किया जाएगाः–

लिपिक के पद का वृत्तिमूलक स्तर	एफ0पी0एल0–2
हरियाणा सिविल सेवा (ए0सी0पी0) नियम, 2016 के नियम 7.1 के अधीन हकदारी प्रथम ए0सी0पी0 की तिथि ।	01.09.2018
स्वीकार्य ए0सी0पी0 स्तर	ए0सी0पी0एल0–4
दिनांक 31.08.2018 को स्तर–2 में विद्यमान वेतन ।	24500/–रुपए
ए0सी0पी0 के कारण एक वेतनवृद्धि जोडने पर वेतन स्तर ।	25,200/–रूपए स्तर–2 में
स्तर–4 में निकटतम आगामी उच्चतर अवस्था ।	पात्रता की शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन 25500/–रुपए दिनांक 01.09.2018 से प्रथम ए0सी0पी0 स्तर–4 प्रदान करने पर यह उसका वेतन होगा ।

उदाहरण–2

श्री ख को नए प्रवेशक के तौर पर सेवादार के पद पर दिनांक 05.08.2007 को वेतन बैंड–15, 4440–7440, ग्रेड वेतन–1300/– में भर्ती किया गया था और वह उसी पद पर काम कर रहा है। उसने दिनांक 01.09.2015 को 1800/–रु० ग्रेड वेतन का प्रथम ए0सी0पी0 प्राप्त किया है। यदि, वह उसी पद पर रहता है तथा आगामी 8 वर्षों में कोई वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त नहीं करता, तो वह 01.09.2023 से द्वितीय ए0सी0पी0 के लिए हकदार होगा तथा सम्बन्धित ए0सी0पी0 स्तर में उसका वेतन निम्न अनुसार नियत किया जाएगा :–

सेवादार के पद का वृत्तिमूलक स्तर	डी0एल0
01.09.2015 के बाद वर्तमान ए0सी0पी0 स्तर जिसमें कर्मचारी अपना वेतन प्राप्त कर रहा है।	वेतन सांचे का ए0सी0पी0–1 वेतन मैट्रिक्स का ए0सी0पी0एल0–1
हरियाणा सिविल सेवा (ए0सी0पी0) नियम, 2016 के नियम 7.2 के अधीन स्वीकार्य द्वितीय ए0सी0पी0 स्तर	ए0सी0पी0एल0–4
31.08.2023 (काल्पनिक) को ए0सी0पी0 स्तर–1 में विद्यमान वेतन	24500/–रूपए
ए0सी0पी0 के कारण एक वेतन वृद्धि जोडने पर वेतन स्तर–1	ए0सी0पी0 स्तर–1 में 25200/– रुपए
ए0सी0पी0एल0–4 में आगामी निकटतम उच्चतर अवस्था ।	प्रात्रता की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन 25500/– रुपए दिनांक 01.09.2023 से द्वितीय ए0सी0पी0 स्तर–4 प्रदान करने पर यह उसका वेतन होगा ।

उदाहरण–3

श्री ग को नए प्रवेशक के तौर पर लिपिक के पद पर दिनांक 04.02.2007 को वेतन बैंड–1, 5200–20200, ग्रेड वेतन–1900/– में भर्ती किया गया था । उसे दिनांक 08.10.2010 को वेतन बैंड–2, 9300–34800, ग्रेड वेतन 3200/– जिसे आगे दिनांक 01.09.2014 से ग्रेड वेतन–3600/– में संशोधित कर दिया गया था, में सहायक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था। मानते हुए कि वह 2020 तक सहायक के पद पर रहता है, तो वह दिनांक 01.11.2018 को द्वितीय अपग्रेडेशन (उसके द्वारा ग्रहण किए हुए पद के वेतनमान के तत्समान प्रथम ए0सी0पी0 स्तर) के लिए हकदार होगा तथा सम्बन्धित ए0सी0पी0 स्तर में उसका वेतन निम्न अनुसार नियत किया जाएगाः–

सहायक के पद का वृत्तिमूलक स्तर	एफ0पी0एल0–6
हरियाणा सिविल सेवा (ए0सी0पी0) नियम, 2016 के नियम 7.4 के अधीन स्वीकार्य द्वितीय ए0सी0पी0 स्तर ।	ए0सी0पी0एल0–10
31.08.2018को एफ0पी0एल0–6 में विद्यमान वेतन(काल्पनिक)।	44900/–रूपए
एफ0पी0एल0–6के कारण एक वेतन वृद्धि जोडने पर वेतन स्तर–1	46200/–रूपए
ए0सी0पी0एल010 में आगामी निकटतम उच्चतर अवस्था ।	प्रात्रता की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन 46200/– रुपए दिनांक 01.11.2018 से प्रथम ए0सी0पी0 (द्वितीय वित्तीय अपग्रेडेशन) प्रदान करने पर यह उसका वेतन होगा ।

उदाहरण–4

श्री घ को नए प्रवेशक के तौर पर कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर दिनांक 19.09.2006 को वेतन बैंड–2, 9300–34800, ग्रेड वेतन–3600/– में भर्ती किया गया था और वह उसी पद पर काम कर रहा है तथा कोई वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त नहीं किया है। 01.09.2014 से ग्रेड वेतन–3600/– को ग्रेड वेतन–4000/–में संशोधित कर दिया गया है, वह दिनांक 18.09.2014 को 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करता है और दिनांक 01.10.2014 (आगामी मास के प्रथम दिन से, जिसमें वह 8 वर्ष की अपेक्षित सेवा पूर्ण करता है) से प्रथम ए0सी0पी0 के लिए हकदार होगा। वह स्तर–8 में वेतन प्राप्त करेगा और उसका वेतन ए0सी0पी0 स्तर–10 में निम्न अनुसार नियत किया जाएगाः–

कनिष्ठ अभियन्ता के पद का एफ0पी0एल0	एफ0पी0एल0–6
हरियाणा सिविल सेवा (ए0सी0पी0) नियम, 2016 के नियम 7.4 के अधीन स्वीकार्य द्वितीय ए0सी0पी0 स्तर ।	ए0सी0पी0एल0–10
01.01.2016 को स्तर–8 (ए0सी0पी0) में विद्यमान वेतन (13290+4000=17290 x 2.57 = 44435)	44900/–रूपए
द्वितीय ए0सी0पी0 की देय तिथि और सम्बन्धित ए0सी0पी0एल0	1.10.2022, ए0सी0पी0एल0–12
30.9.2022 (काल्पनिक) को प्रथम ए0सी0पी0एल–10 में विद्यमान वेतन	53600/– रूपए
ए0सी0पी0 (जी0पी0 5400) के कारण एक वेतन वृद्धि जोड़ने पर वेतन स्तर	55200/– रूपए
स्तर–12 में आगामी निकटतम उच्चतर अवस्था।	प्रात्रता की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन 56300/– रुपए दिनांक 01.10.2022 को द्वितीय ए0सी0पी0एल–12 प्रदान करने पर यह उसका वेतन होगा ।

पी० राघवेन्द्र राव,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 28th October, 2016

No. 1/20/2016(ACP)-5PR(FD)— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title, commencement and objective.—

(1) These rules may be called the Haryana Civil Services (Assured Career Progression) Rules, 2016.

(2) These rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016, unless otherwise provided by the Government for any class or category of persons.

(3) The objective of these rules is to provide two categories of assured career progression schemes for the employees of Haryana Government. The first category of scheme is cadre-specific Assured Career Progression Scheme for some cadres/ posts/ services. The second category of scheme is primarily to remove stagnation in service, in the form of a general assured career progression scheme. The second category scheme seeks to ensure that all Government employees, whose cadres are not covered by cadre-specific assured career progression scheme, get at least three financial upgradations, including financial upgradation, availed by such Government employees as a consequence of functional promotion during his entire career. It also seeks to ensure that no Government employee stagnates without any financial upgradation for more than eight years unless he has already availed three financial upgradations in his career.

2. Categories of Government employees to whom these rules apply.—

Save as otherwise provided under these rules, it shall apply to the persons appointed to civil services and posts in connection with the affairs of the Government of Haryana, who are under the administrative control of the Government of Haryana and whose pay is debitable to the Consolidated Fund of the State of Haryana.

Note.— These rules shall also be applicable to re-employed pensioners, including military pensioners, who are drawing pay in the existing pay structure subject to revision of pension from 1st January, 2016.

These rules shall not apply to—

(i) Members of All India Services working in connection with the affairs of Government of Haryana;

(ii) Officers of judicial services working in connection with the affairs of Government of Haryana;

(iii) Persons not in whole time employment ;

(iv) Persons paid otherwise than on monthly basis, including those paid on a piece-rate basis or on daily wages basis or on contract basis or appointed under outsourcing policies;

3. Definitions.—

In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "ACP Level" in relation to any Government employee means corresponding Assured Career Progression level in which the Government employee is eligible or entitled to be placed as a consequence of application of these rules in place of his present pay structure;

(b) "applicable level" in the ACP Pay Matrix shall mean the ACP Level corresponding to the pay band and grade pay/ scale as on 1st January, 2016 specified in Schedule-I;

(c) "cadre specific Assured Career Progression Scheme" means a scheme falling within the scope of these rules and as mentioned in the Part I of Schedule I of these rules;

(d) "CSR" means the Civil Services Rules as applicable to Haryana Government employees as amended from time to time;

(e) "direct recruit" means the post on which a Government employee was recruited as a regular and direct recruit fresh entrant in the Government service and is in continuous employment of Government since such recruitment;

(f) "existing basic pay" means pay as on 1st January, 2016 or on the date of option in the present pay structure as on 31st December, 2015, it does not include any other type of pay like "special pay", "personal pay" etc;

(g) "existing ACP pay structure" in relation to any post or any Government employee means the pre-revised ACP pay structure as on the date immediately before the coming into force of these rules.

(h) "first / second/ third assured career progression level under general ACP scheme" means the first/second/third financial upgradation in terms of higher level for all Government employees covered under the General ACP scheme, as mentioned in column 3, 4 and 5 respectively of Part II of Schedule I with reference to the functional grade pay as on 1st January, 2016 mentioned in column 3 of Part II of Schedule I, and shall be referred to as 1st ACPL, 2nd ACPL and 3rd ACPL respectively;

(i) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Finance Department, save as otherwise provided by or under these rules;

(j) "Government employee" means the Government employees to whom these rules apply under rule 2;

(k) "leave" means any sanctioned leave as defined in Civil Services Rules, except "casual leave". Any type of absence without the sanction of competent authority shall not be considered as leave;

(l) "memorandum explanatory" means the memorandum explanatory appended to these rules, as Annexure-I briefly explaining the nature, philosophy, justification, objectives, applicability etc. of these rules;

(m) "present pay structure" in relation to a Government employee or post means the ACP Pay Band and Grade Pay admissible under the rules applicable immediately before the coming into force of these rules;

(n) "persons" mean persons who are Government employees for the purposes of these rules;

(o) "revised emoluments" means pay in the ACP level of a Government employee in the revised pay structure;

(p) "Schedule" means Schedule appended to these rules.

4. Cadre Specific Assured Career Progression Scheme.—

The ACP Level mentioned in column 4 of Part I of Schedule I to certain cadres/ posts/ services mentioned in column 2 of Part I of Schedule I shall be admissible to the Government employees who become members of such specific cadres/services by way of direct recruitment or promotion subject to eligibility.

5. General Assured Career Progression scheme.—

Financial upgradation in the form of the first, the second and the third ACP Level as mentioned in column 3, 4 and 5 of Part II of Schedule I shall be admissible to all Government employees covered under this scheme with reference to the functional grade pay as on 1st January, 2016. However, in case of an employee holding a post after promotion, the entitled ACP level shall be the level of pay corresponding to the existing functional grade pay as on 1st day of January, 2016 of the promotional post.

6. Eligibility for grant of cadre specific ACP Level.—

For the grant of cadre specific ACP Level the eligibility conditions shall be the same as mentioned in Part I of Schedule I of these rules, apart from the general conditions of eligibility given in rule 8, hereunder;

Note 1.— Where grant of ACP Level is restricted to the percentage of cadre strength, it shall be worked out in

the following manner;

(i) If ACPL is available to 20% (twenty percent) of the total cadre strength, the minimum strength of the cadre must be three. It shall be admissible to only one eligible Government employee where the cadre strength is of three to seven posts.

(ii) If ACP is available to 15% (fifteen percent) of the total cadre strength, the minimum strength of the cadre must be four. It shall be admissible to only one eligible Government employee where the cadre strength is of four to ten posts.

Note 2.— Cadre strength mean total sanctioned post in a cadre.

Note 3.— See also Note 1 and 2 below rule 8.

7. Eligibility for grant of ACP Level under the General ACP scheme.—

(1) Every Government employee covered under the general ACP scheme shall, for the purposes of drawal of pay, be eligible for the first ACP Level (given in column 3 of Part II of Schedule I in respect of the functional pay structure as on 1st day of January, 2016 of his post) if he has completed 8 (eight) years of regular satisfactory service and has not got any financial upgradation in these 8 (eight) years with reference to the functional pay structure of the post to which he was recruited as a direct recruit.

(2) Every Government employee covered under the general ACP scheme shall, for the purposes of drawal of pay, be eligible for the second ACP Level (given in column 4 of Part II of Schedule I in respect of the functional pay structure as on 1st day of January, 2016 of his post) if he has completed 16 (sixteen) years of regular satisfactory service provided he has availed only one financial upgradation with reference to the functional pay structure of the post to which he was recruited as a direct recruit.

(3) Every Government employee covered under the general ACP scheme shall, for the purposes of drawal of pay, be eligible for the third ACP Level (given in column 5 of Part II of Schedule I in respect of the functional pay structure as on 1st day of January, 2016 of his post) if he has completed 24 (twenty four) years of regular satisfactory service and has not got more than two financial upgradations so far with reference to the functional pay structure of the post to which he was recruited as a direct recruit.

(4) In case of a Government employee who gets promoted, he shall be considered for the next ACP Level after he completes 8 (eight) years of regular satisfactory service in the promotional post without any financial upgradation after promotion and shall be entitled to the next ACP Level with reference to the level of the promotional post he holds:

Provided that a Government employee shall not be entitled to avail ACP upgradation if, he has already availed of three financial upgradation of any kind in his career.

Explanation 1. — "Regular Satisfactory Service" for the purpose of these rules shall mean—

the service on regular basis mentioned below shall be deemed to be satisfactory if no departmental or judicial proceedings are pending against the Government employee during this period and there are no adverse remarks about integrity in the Annual Confidential Reports of this period :-

(1) Service from the date of joining to a post on regular basis in a Department of Haryana Government either by direct recruitment or otherwise.

(2) The period spent on deputation/foreign service shall be counted towards 'Regular service' for the purpose of these rules.

(3) All kinds of leave (excluding EOL without medical certificate) duly sanctioned by the competent authority.

(4) On appointment from one Department to another under the Haryana Government by direct recruitment or otherwise, the past regular satisfactory service where the Pay Structure/ Pay Level as well as **line of service** of both the posts are identical/ same shall be counted. However, under these rules the Government employee shall not be considered until he completes the probation period of the new post satisfactorily. The financial upgradations already availed shall also be kept in view.

For the purpose of the explanation;

"Line of service" means same nature of job profile e.g. appointment from Engineering to Engineering cadre of the post of same pay structure cover under this rule. However, appointment, say from Conductor to Clerk is not covered.

(5) Benefit of deemed date of appointment/ promotion counted towards seniority.

(6) The period of service rendered by a Government employee who while working on a regular basis is given adhoc promotion within the prescribed quota and subsequently regularized on the same post, then his period of service of adhoc promotion shall be treated as regular satisfactory service.

(7) Past regular service rendered by surplus employees of any Department / Boards/ Corporations of Haryana Government declared surplus and subsequently appointed on transfer basis or adjusted in other departments with the benefit of pay protection shall also be counted for the grant of ACP Level; provided the financial upgradations already availed shall also be taken into account.

Regular satisfactory service however, does not include—

(1) Service rendered on adhoc/contract/ work-charged basis/ daily wages followed by regularization, shall not be counted.

(2) Past service(s) of an employee on his subsequent appointment by direct recruitment or otherwise to a post of lower or higher pay scale/pay structure. The financial upgradations already availed shall not be taken into account.

(3) Past service rendered in any other State Government/ Central Government before appointment in any Department of Haryana Government.

(4) Military service (other than emergency military service counted towards seniority) rendered by an ex-serviceman before his re-employment in civil service.

Note 1.— Resignation from service, to join subsequent appointment shall be a technical formality, if application for the same has been submitted through proper channel.

Note 2.— The regular service defined above shall be deemed to be satisfactory if no departmental or judicial proceedings are pending against the Government employee. There are no adverse remarks about integrity in the Annual Confidential Reports during the period of regular service.

Explanation 2.— **"Financial Upgradations" for the purpose of these rules shall mean—**

any kind of following benefit(s) granted to a Government employee:-

(1) Grant of 1st, 2nd or 3rd ACP upgradation under HCS (ACP) Rules, 1998 or 2008.

(2) Promotion from one post to another in the same or higher pay scale with the benefit of next stage or one increment or more in the pay scale of promotional post.

(3) Promotion while drawing pay in ACP Pay structure at a stage less than minimum of the pay scale or pay band of promotional post where pay is fixed at minimum of pay scale or pay structure of the promotional post with the benefit of equal to or more than one increment

(4) Promotion before 1st January, 1996 with the benefit of next stage or more while drawing pay in Higher Standard Pay Scale.

(5) Grant of Higher Standard Pay Scale provided pay was fixed directly from Higher Standard Pay Scale to ACP Pay Scale admissible under HCS (ACP) Rules, 1998.

(6) Modification of Pay Level from a date after 1st January, 2016.

(7) Benefit of Stepping up of ACP Scale or ACP Level for whatsoever reason, before or after 1st January, 2016.

(8) Grant of Selection Grade provided the Government employee was promoted to a post of higher pay scale while drawing pay in Selection Grade of the feeder post.

(9) Grant of benefit under special entitlement of Haryana Civil Services (Assured Career Progression) Rules, 1998/ 2008, as the case may be.

(10) Grant of 2nd ACP directly on completion of 16 (sixteen) years or more regular satisfactory service shall be treated as two financial upgradations instead of one.

Benefits not to be treated a financial upgradation:-

(i) Benefit of additional increment(s) at 11th/22nd stage or on 8/18 years service in Group 'C' or 'D' post.

(ii) Grant of selection grade/Higher Standard Scale shall not be financial upgradation if pay has been fixed in functional pay scale at the time of general revision of pay scales.

(iii) Promotion(s) availed while working on ex-cadre post(s) for a limited period provided the pay of ex-cadre post(s) has not been taken into account at the time of reversion to a cadre post. For example, initial appointment as Clerk, then Clerk to Steno-typist and to Junior Scale Steno by way of department examinations, thereafter promotion to a post of Assistant with reference to seniority as Clerk, provided neither the pay of Steno-typist nor that of Junior Scale Steno has been taken into account at the time of fixation of pay of Assistant.

8. **Other general conditions of eligibilities of ACP Level.—** The following general conditions shall also be fulfilled by a Government employee for availing benefit of ACP Level :-

(a) after completing the respective prescribed period for eligibility for the grant of any of 1st, 2nd or 3rd ACP Level the Government employee shall be fit to be promoted to the immediate next higher post only in the functional hierarchy in his cadre, but despite of fitness he could not be functionally promoted due to lack of vacancy or otherwise on the promotional post in the hierarchy to which he is eligible to be promoted;

(b) if such promotion involved passing of any departmental or other test, acquisition of higher educational qualification, etc., such condition shall also be fulfilled by the Government employee.

Exception.— The condition of educational qualification and departmental test, if any, shall not be applicable to Group D employees while determining the eligibility for ACP Level where there is no promotional post in the hierarchy other than the post for which educational qualification of Matriculation or above is essential.

Note 1.— When a Government employee is not fit for promotion due to departmental/judicial proceedings pending against him or otherwise on the date of eligibility for grant of ACP Level, he shall not be granted the benefit of ACP Level until he is declared fit for promotion, it has also consequential effect on subsequent ACP upgradation.

Note 2.— Where a Government employee is denied for grant of benefit of ACP Level due to departmental proceedings pending against him, and subsequently another charge sheet is also issued in connection with another case but in the meanwhile if the previous charge sheet is dropped he shall be granted the benefit of ACP Level provided the same is otherwise admissible before the date of issue of subsequent charge sheet.

Note 3.— ACP Level will be granted from the 1st day of the following month in which a Government employee becomes eligible for the same.

Note 4.— Where there is no promotional post in the hierarchy, in such case the ACP Level shall be granted on completion of prescribed regular satisfactory service only.

9. **Responsibility to be discharged etc.—** On placement in the ACP Level, the Government employee shall continue to hold operational duties of his previous post held by him and shall continue to hold the previous designation till such time as he is actually promoted to the higher post on the occurrence of a vacancy.

10. **Consequences of ACP Level etc.—** Placement in the ACP Level shall entitle only financial benefit of drawal of pay and allowances on pay in the ACP Level. The other entitlements including the entitlement generally dependent on the status of the employee shall continue to be determined with reference to his post on which he is working in the substantive or officiating capacity, while drawing pay the ACP Level.

11. Grant of Assured Career Progression Level.—

(1) **R**ule 6, 7 and 8 only prescribe eligibility conditions for placement in the relevant ACP Level and does not authorize automatic placement in ACP Level in which Government employee is eligible to be placed under these rules. The authority competent to grant promotion in case of a Government employee shall be required to pass suitable orders for grant of ACP Level under these rules, authorizing the placement of a Government employee in the appropriate ACP Level.

Before passing such order under rule 6 or 7, the authority competent shall ensure:-

(a) that if there is a Departmental Promotion Committee, such Committee should consider the cases for grant of ACP Level as if these were cases for determining the suitability for promotion and that its recommendations are considered in the manner as considered in case of functional promotions;

(b) that the conditions and provisions laid down in these rules or any other order/instructions etc. issued under these rules or otherwise with this purpose, are strictly adhered to;

(c) that the number of financial up-gradations granted to a Government employee, covered under ACP General Scheme is counted with reference to the pay scale or pay structure of the post to which the Government employee was inducted as a direct recruit fresh entrant. For this purpose, each financial upgradation will be counted as one upgradation. The benefit of ACP shall not be extended to a Government employee under ACP General Scheme if he has already availed three financial upgradations in his career by way of ACP or otherwise;

(d) that provisions of these rules or any other rules or instructions issued by the Government from time to time have been complied with.

Explanation.— The "authority competent" for the purpose of this rule shall mean the authority competent to grant promotion to the next promotional post in the hierarchy.

(2) The ACP Level so granted shall be effective from the 1st day of the following month in which a Government employee becomes eligible and not from the date on which the orders are issued by the competent authority, if the orders are issued by the competent authority on a date which is different from the due date of eligibility :

Provided that the Government employee shall draw his pay only after the orders for granting such pay structure are issued by the competent authority in the relevant ACP Level .

(3) In case of Government employees who are drawing pay in ACP pay structure on or before the date of notification of these rules, there shall be no need to pass any orders under the provisions of sub-rules (1) and (2) above and they

shall be entitled to draw their pay in the ACP Level corresponding to their ACP pay structure in which they are drawing their pay :

Provided that this deemed grant of ACP Level shall not affect his entitlement for revised pay structure in which he shall be placed as a consequence of application of these rules. Such Government employees shall be placed in the appropriate revised ACP Level as per their eligibility under these rules for the purposes of fixation of pay as a consequence of application of these rules.

12. Admissibility of stepping up in certain cases.—

If the service rules provide for or circumstances warrant filling up of a post through direct recruitment as well as through promotion, benefit of stepping up of ACP Level and/or pay shall be admissible to the senior employee appointed by promotion on the same post on which the junior direct recruit Government employee is drawing higher ACP Level. The condition of maximum three financial upgradations shall not be a bar. However, condition of satisfactory record and qualification etc. shall be fulfilled for the purpose of this rule. ACP Level and/or Pay shall be stepped up in the following manner;

(i) If the Level of Matrix of senior is inferior than that of junior, the Level shall be stepped up;

(ii) if both Level of Matrix as well as pay are inferior than both Level as well as pay shall be stepped up upto the extent admissible on grant of ACP Level subject to satisfactory record and eligibility.

13. Special entitlement for ACP Level.—

Where a Government employee after promotion from one post to another is drawing pay in the level inferior than his presumptive pay and/or ACP Level which shall have been admissible to him in 1st/2nd/3rd ACP Level had he not been promoted, he shall be granted difference of pay of promotional post and presumptive pay of ACP pay structure and/or change of level to ACP Level as a special entitlement:

Provided that such functional promotion to a post with such inferior pay structure shall not be counted as a financial upgradation for the purposes of these rules.

14. Ceasing of entitlement of ACP Level.—

(1) A Government employee who foregoes his promotion in the line of hierarchy or seeks reversion on his own accord to feeder post on any ground whatsoever, while drawing pay in—

(a) 3rd ACP Level, the pay shall be refixed in 2nd ACP Level ;

(b) 2nd ACP Level, the pay shall be re-fixed in the 1st ACP Level ;

(c) 1st ACP Level, the pay shall be re-fixed in the Functional pay structure,

equal to the presumptive pay which shall have been admissible had he not been granted 3rd/2nd/1st ACP Level , as the case may be.

(2) If such Government employee becomes ready to accept promotion, in such case the period of service between the date of foregoing promotion/reversion and date of application indicating readiness to accept the promotion, subject to minimum one year, shall be excluded from the regular satisfactory service for the purpose of grant of ACP Level. On assuming the charge of promotional post the pay shall be re-fixed equal to the pay drawn in ACP Pay structure immediately before foregoing promotion or fixation of pay of the promotional post under normal rules, whichever is higher:

Provided that the request for seeking reversion or foregoing promotion once accepted by the competent authority shall not be withdrawn. Once a Government employee has foregone his promotion or sought reversion to a feeder post, such foregoing/ reversion shall remain in force for a minimum period of one year or upto the period he gives in writing to re-consider his name for promotion, whichever is later.

15. ACP Levels of posts.—

The ACP Level (ACPL) for the purpose of these rules shall be as under:—

(a) The revised ACP Level in case of cadre-specific ACP schemes shall be as mentioned in Part I of Schedule I :

(b) The revised ACP Level in case of General ACP scheme shall be as specified in Part II of Schedule I :

Provided that in case of the posts for which the functional pay structures have been revised/modified on or before 1st January, 2016, the so revised scales shall be considered as the functional scales of those posts for the purpose of this rule.

16. Drawal of pay in revised ACP Level.—

(1) Save as otherwise provided in these rules, a Government employee shall draw pay in the revised ACP Level , that is in 1st ACPL or 2nd ACPL or 3rd ACPL, as applicable in his case :

Provided that a Government employee may elect to continue to draw pay in the present pay structure until the date on which he earns his next increment in the present pay structure or until he vacates his post or ceases to draw pay in the present pay structure :

Provided further that in cases where a Government employee has been granted ACP, between 1st day of January, 2016 and the date of notification of these rules may elect to switch over to the revised pay structure from the date of grant of such ACP, 1st July, 2016, as the case may be.

Explanation 1.— The option to retain the present pay structure under the proviso to this rule shall be admissible in respect of only one pay structure.

Explanation 2. — Where an ACP Grade Pay of a post has been upgraded by way of merger, the employee granted ACP Pay Structure of such post, between the period from 1st January, 2016and the date of notification, may opt for revised pay structure from a date of grant of ACP Pay Structure or 1st July, 2016 but in that case the existing basic pay admissible on the date of option in the ACP pay structure as on 31st December, 2015 of the post shall be taken into account for the purpose of fixation of pay in the revised ACP pay structure.

Explanation 3. — The aforesaid option shall not be admissible to any person granted ACP for the first time on or after the 1st day of January, 2016, and he shall be allowed pay only in the revised pay structure.

17. Exercise of option.—

(1) The option under the provisos to rule 16 shall be exercised in writing in the form appended to these rules so as to reach the authority mentioned in sub-rule (2) within three months from—

(a) the date of notification of these rules; or

(b) the date where revision in the pay structure and/or refixation of pay with retrospective effect is made by any order subsequent to the date of notification of these rules;

Provided that—

(i) in the case of a Government employee who is, on the date of such notification or, as the case may be, date of such order, out of India either on leave or deputation or foreign service, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of the date of his taking charge

of his post in India; and

(ii) where a Government employee is under suspension on the 1st day of January, 2016, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule.

(2) The option shall be intimated by the Government employee to the Head of his office alongwith an undertaking, in the form appended to these rules.

(3) If the intimation regarding option is not received within the time mentioned in sub-rule (1), the Government employee shall be deemed to have elected to be governed by the revised ACP pay structure w.e.f. the 1st day of January, 2016.

(4) The option once exercised shall be final.

Note 1. — Persons whose services were terminated on or after the 1st January, 2016, and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of death, discharge on the expiry of the sanctioned post, resignation, dismissal or removal on account of disciplinary proceeding, shall be entitled to exercise option under sub-rule (1).

Note 2.— Persons who have died on or after the 1st day of January, 2016, and could not exercise the option within the prescribed time limit are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016, or such later date as is most beneficial to their dependents, if the revised pay structure is more favorable and in such cases, necessary action for payment of arrears should be taken by the Head of Office.

Note 3.— Persons who were on earned leave or any other leave on 1st day of January, 2016 which entitled them to leave salary shall be entitled to exercise option under sub-rule (1).

18. Fixation of pay in the revised ACP pay structure.—

The pay of a Government employee who elects or is deemed to have elected under rule 17 to be governed by the revised ACP pay structure on and from the 1st day of January, 2016, shall be fixed in the following manner namely:-

(a) In the case of all employees covered under ACP Schemes—

(i) The pay in the applicable ACP Level in the Pay Matrix shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay by a factor of 2.57, rounded off to the nearest rupee and the figure so arrived at will be located in that ACP Level and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable ACP Level, the same shall be the pay, and

(ii) If no such Cell is available in the applicable ACP Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable ACP Level. If the minimum of the revised ACP Level is more than the amount arrived at as per (i) above, the pay shall be fixed at the minimum of the revised ACP Level;

Where a Government employee has been granted ACP between the period from 1st January, 2016 and the date of notification, to a post the Grade Pay of which has been merged with higher grade pay or upgraded, opt for revised pay structure from a date later than 1st January, 2016 but in their case the pay structure as on 31st December, 2015 of the post held by them on the date of option shall be taken into account.

(b) in the case of employees who are in receipt of special pay/allowance in addition to pay in the present scale which has been recommended for replacement by a pay band and grade pay without any special pay/allowance, pay shall be fixed in the revised pay structure in accordance with the provisions of (a) above :

(c) in the case of employees who are in receipt of special pay component with any other nomenclature in addition to pay in the present scales, such as personal pay for promoting small family norms, etc., and in whose case the same has been replaced in the revised structure with corresponding allowance/pay at the same rate or at a different rate, the pay in the revised structure shall be fixed in accordance with the provisions of clause (a) above. In such cases, the allowance at the new rate as recommended shall be drawn in addition to pay in the revised structure of pay from the date specified in the relevant notifications related to these allowances;

(d) In the case of Medical Officers in respect of whom Non-Practicing Allowance (NPA) is admissible, the pay in the revised ACP pay structure shall be fixed in the following manner; namely:-

(i) The existing basic pay shall be multiplied by a factor of 2.57 and the figure so arrived at shall be added to by an amount equivalent to Dearness Allowance on the pre-revised Non-Practicing Allowance admissible as on 1st day of January, 2016. The figure so arrived at will be located in the ACP Level and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable ACP level, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix.

(ii) The pay so fixed under sub-clause (i) shall be added by the pre-revised Non Practicing Allowance admissible on the existing basic pay until further decision on the revised rates of Non Practicing Allowance.

Note 1.— A Government employee who is on leave including Study Leave on the 1st day of January, 2016, and is entitled to leave salary shall be entitled to pay in the revised ACP pay structure from 1st day of January, 2016 or the date of option for the revised pay structure.

Note 2.— In case of Government employee under suspension, he shall continue to draw subsistence allowance based on existing pay structure and his pay in the revised ACP pay structure will be subject to final order on the pending disciplinary proceedings or otherwise a final order, as the case may be.

Note 3.— Where the 'existing emoluments' exceed the revised emoluments in the case of any Government employee, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

Note 4.— Where a Government employee is in receipt of personal pay immediately before the date of notification of these rules, which together with his existing emoluments exceed the revised emoluments, then the difference representing such excess shall be allowed to such Government employee as personal pay to be absorbed in future increase in pay.

Note 5.- (a) Where in the fixation of pay under this rule, the pay of a Government employee, who, in the existing ACP pay structure was drawing immediately before the 1st day of January, 2016, more pay than another Government employee junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised ACP pay structure in a cell lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same cell in the revised pay structure as that of the junior.

(b) In case where a senior Government employee granted ACP pay structure before the 1st day of January, 2016, draws less pay in the revised ACP pay structure than his junior who is granted ACP level on or after the 1st day of January, 2016, the pay of the senior Government employee should be stepped up to an amount equal to the pay in the ACP pay structure as fixed for his junior. The stepping up should be done with effect from the date of grant of ACP level to the junior Government employee.

The stepping up under (a) and (b) above shall be done subject to the fulfillment of the following conditions, namely:-

(i) both the junior and the senior Government employees should belong to the same cadre and the ACP pay structure should be identical;

(ii) the present pay structure and the revised ACP pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay should be the same;

(iii) the senior Government employee at the time he moved into 1st, 2nd or 3rd ACP, as the case may be, should have been drawing equal or more pay than that of the junior;

(iv) the anomaly is directly as a result of the application of the provisions of Civil Services Rules or any other rule or order regulating pay fixation on such

promotion in the revised pay structure:

Provided that if the junior officer was drawing more pay in the present pay structure than senior by virtue of any advance increment(s) or otherwise granted to him on a personal measure, the provisions of this sub-rule shall not be invoked to step up the pay of the senior officer.

(c) The order relating to re-fixation of the pay of the senior officer in accordance with clause (a) and (b) shall be issued under the Haryana Civil Services Rules and the senior officer shall be entitled to the next increment on completion of his required qualifying service with effect from the date of re-fixation of pay.

Note.— The placement in the first, second or third ACP Level , as the case may be, does not amount to a functional promotion but the benefit of one increment @ 3% (three percent) is admissible in the ACP Level. On promotion from one post to another of higher level while drawing pay in ACP Pay structure the benefit of one increment of promotion shall also be admissible, however, such benefit of promotion shall not be admissible where the level of promotional post is identical to or lower than the ACP Level in which the Government employee is drawing his pay before promotion.

19. Date of next increment in the revised ACP pay structure.—

(1) There shall be two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of existing date of 1st July:

Provided that an employee shall be entitled to only one annual increment either on 1st January or 1st July depending on the date of grant of ACP upgradation.

Provided further that a Government employee who does not complete six months qualifying service before the date of normal increment due on 1st July or 1st January, as the case may be, his date of next increment shall be changed to 1st January or 1st July and shall be granted subject to admissibility.

(2) The increment in respect of an employee on grant of financial upgradation during the period between the 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive) shall be granted on 1st day of January and the increment in respect of an employee on grant of financial upgradation during the period between the 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

(a) In case of an employee granted ACP during the period between the 2nd day of July, 2016 and the 1st day of January, 2017, the first increment shall accrue on the 1st day of July, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.

(b) In case of an employee granted ACP during the period between 2nd day of January, 2016 and 1st day of July, 2016, who did not draw any increment on 1st day of July, 2016, the next increment shall accrue on 1st day of January, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis:

Provided that in the case of employees whose pay in the revised ACP pay structure has been fixed as on 1st day of January, the next increment in the Level in which the pay was so fixed as on 1st day of January, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2016:

Provided further that the next increment after drawal of increment on 1st day of July, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2017.

20. Fixation of pay from a date subsequent to the 1st day of January, 2016.—

Where a Government employee continues to draw his pay in the present pay structure is brought over to the revised pay structure from a date later than the 1st day of January, 2016, his pay from the later date in the revised pay structure shall be fixed in accordance with clause (A) of sub-rule (1) of rule 18.

21. Fixation of pay on placing in ACP Level on or after 01.01.2016.—

(1) In the case of moving from one level to another in the revised ACP Level , the fixation shall be done as follows:—

One increment shall be added in the Cell of the Level of Government employee in which he is drawing pay immediate before the grant of ACP level and he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the ACP Level and if no such Cell is available in the ACP Level, he shall be placed at the next higher Cell in that ACP Level.

On enhancement in presumptive pay of previous level due to increment or otherwise while drawing pay in the ACP Level, the pay of present level shall be re-fixed as if the incumbent has been granted ACP Level on the date of such enhancement, if it is advantageous to him, as provided in rule 4.14 (2) of Punjab Civil Services Rules Volume-I Part-I, applicable prior to 19th July 2016 and rule 21 of Haryana Civil Services (Pay) Rules 2016, applicable from the 19th July, 2016.

22. Mode of payment of arrears of pay.—

The arrears shall be paid in cash preferably during the current financial year 2016-17.

Explanation.— For the purposes of this rule;

(a) "arrears of pay" in relation to a Government employee means the difference between:

(i) the aggregate of the pay and dearness allowance to which he is entitled on account of the revision of his pay under these rules, for the period effective from the 1st day of January, 2016; and

(ii) the aggregate of the pay and dearness allowance to which he would have been entitled (whether such pay and dearness allowance had been received or not) for that period had his pay and allowances not been so revised;

(b) The Interim Relief ₹ 2,000/- (Two thousand rupees only) per month paid to Group C and D employees is discontinued from 1st January, 2016 and the same paid from 1st January, 2016 onwards shall be recovered from them.

(c) The Risk Allowance of Rs. 5,000/- (Five Thousand rupees only) per month granted to the personnel of Haryana Police and Prisons Department Haryana vide instructions dated 19th December, 2013 shall be continued till such time as may be separately ordered by the Government.

23. Overriding effect of rules.—

The provisions of Civil Services Rules or any other rules made in this regard shall not, save as otherwise provided in these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules to the extent they are inconsistent with these rules.

24. Power of relax.—

Where the Government is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, it may, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Note.— The relaxation so granted under this rule shall be deemed to have been given depending upon the merit of such class and categories of Government employees and therefore, shall not amount to any discrimination with other class and categories of Government employees.

25. Power to make addition or deletion etc.—

Where the Government is satisfied that there is a necessity to make additions or delete any class or categories of posts or change the designations and structure of pay either permanently or temporarily in the Schedules of these rules, the Government shall be competent to add or delete or change such conditions. The provisions of these rules shall apply on such additions or deletions or changes, as the Government may direct by specific orders or in the absence of that, all the provisions of these rules shall apply as if the changes were made.

26. Interpretation.—

If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, it shall be referred to the Finance Department through Administrative Department concerned.

27. Residuary provisions.—

In the event of any general or special circumstance which is not covered under these rules or about which certain inconsistency comes to the notice, the matter shall be referred to the Government and Government shall prescribe the conditions to be followed under such circumstances. Such conditions as prescribed by the Government shall be deemed to be part of these rules. Further, if the Government is satisfied that there is a requirement to prescribe certain additional conditions under these rules, the Government shall prescribe such conditions and such additional conditions as prescribed by the Government under this rule shall be deemed to be the part of these rules.

Schedule-A

Pay Band	-1S, 4440-7440	PB-1, 5200-20200					PB-2, 9300-34800							PB-3, 15600-39100					PB-4, 37400-67000						67000-79000 (HAG)
GP	GP-1300 & 1400 merged with GP-1650	1800	1900	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4200	4600	4800	5400	6000	6400	6600	7600	8000	8700	8800	8900	9500	9800	10000	
Entry Pay (pay in PB +GP)	6580	7000	7730	8460	9910	11360	12500	12900	13300	13500	17140	18150	20280	24600	25000	25350	29500	33110	46100	46200	46300	46900	47200	47400	67000
Index	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.62	2.62	2.62	2.62	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.57	2.57	2.67	2.67	2.67	2.72	2.72
level	DL **	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	16900	18000	19900	21700	25500	29200	32100	33200	34200	35400	44900	47600	53100	65700	66800	67700	78800	88400	118500	118700	123600	125200	126000	128900	182200
2	17400	18500	20500	22400	26300	30100	33100	34200	35200	36500	46200	49000	54700	67700	68800	69700	81200	91100	122100	122300	127300	129000	129800	132800	187700
3	17900	19100	21100	23100	27100	31000	34100	35200	36300	37600	47600	50500	56300	69700	70900	71800	83600	93800	125800	126000	131100	132900	133700	136800	193300

4	18400	19700	21700	23800	27900	31900	35100	36300	37400	38700	49000	52000	58000	71800	73000	74000	86100	96600	129600	129800	135000	136900	137700	140900	199100
5	19000	20300	22400	24500	28700	32900	36200	37400	38500	39900	50500	53600	59700	74000	75200	76200	88700	99500	133500	133700	139100	141000	141800	145100	205100
6	19600	20900	23100	25200	29600	33900	37300	38500	39700	41100	52000	55200	61500	76200	77500	78500	91400	102500	137500	137700	143300	145200	146100	149500	211300
7	20200	21500	23800	26000	30500	34900	38400	39700	40900	42300	53600	56900	63300	78500	79800	80900	94100	105600	141600	141800	147600	149600	150500	154000	217600
8	20800	22100	24500	26800	31400	35900	39600	40900	42100	43600	55200	58600	65200	80900	82200	83300	96900	108800	145800	146100	152000	154100	155000	158600	**224100**
9	21400	22800	25200	27600	32300	37000	40800	42100	43400	44900	56900	60400	67200	83300	84700	85800	99800	112100	150200	150500	156600	158700	159700	163400	
10	22000	23500	26000	28400	33300	38100	42000	43400	44700	46200	58600	62200	69200	85800	87200	88400	102800	115500	154700	155000	161300	163500	164500	168300	
11	22700	24200	26800	29300	34300	39200	43300	44700	46000	47600	60400	64100	71300	88400	89800	91100	105900	119000	159300	159700	166100	168400	169400	173300	
12	23400	24900	27600	30200	35300	40400	44600	46000	47400	49000	62200	66000	73400	91100	92500	93800	109100	122600	164100	164500	171100	173500	174500	178500	
13	24100	25600	28400	31100	36400	41600	45900	47400	48800	50500	64100	68000	75600	93800	95300	96600	112400	126300	169000	169400	176200	178700	179700	183900	
14	24800	26400	29300	32000	37500	42800	47300	48800	50300	52000	66000	70000	77900	96600	98200	99500	115800	130100	174100	174500	181500	184100	185100	189400	
15	25500	27200	30200	33000	38600	44100	48700	50300	51800	53600	68000	72100	80200	99500	101100	102500	119300	134000	179300	179700	186900	189600	190700	195100	
16	26300	28000	31100	34000	39800	45400	50200	51800	53400	55200	70000	74300	82600	102500	104100	105600	122900	138000	184700	185100	192500	195300	196400	201000	
17	27100	28800	32000	35000	41000	46800	51700	53400	55000	56900	72100	76500	85100	105600	107200	108800	126600	142100	190200	190700	198300	201200	202300	207000	
18	27900	29700	33000	36100	42200	48200	53300	55000	56700	58600	74300	78800	87700	108800	110400	112100	130400	146400	195900	196400	204200	207200	208400	213200	
19	28700	30600	34000	37200	43500	49600	54900	56700	58400	60400	76500	81200	90300	112100	113700	115500	134300	150800	201800	202300	**210300**	**213400**	**214700**	**219600**	

20	29600	31500	35000	38300	44800	51100	56500	58400	60200	62200	78800	83600	93000	115500	117100	119000	138300	155300	**207900**	**208400**					
21	30500	32400	36100	39400	46100	52600	58200	60200	62000	64100	81200	86100	95800	119000	120600	122600	142400	160000							
22	31400	33400	37200	40600	47500	54200	59900	62000	63900	66000	83600	88700	98700	122600	124200	126300	146700	164800							
23	32300	34400	38300	41800	48900	55800	61700	63900	65800	68000	86100	91400	101700	126300	127900	130100	151100	169700							
24	33300	35400	39400	43100	50400	57500	63600	65800	67800	70000	88700	94100	104800	130100	131700	134000	155600	174800							
25	34300	36500	40600	44400	51900	59200	65500	67800	69800	72100	91400	96900	107900	134000	135700	138000	160300	180000							
26	35300	37600	41800	45700	53500	61000	67500	69800	71900	74300	94100	99800	111100	138000	139800	142100	165100	185400							
27	36400	38700	43100	47100	55100	62800	69500	71900	74100	76500	96900	102800	114400	142100	144000	146400	170100	191000							
28	37500	39900	44400	48500	56800	64700	71600	74100	76300	78800	99800	105900	117800	146400	148300	150800	175200	196700							
29	38600	41100	45700	50000	58500	66600	73700	76300	78600	81200	102800	109100	121300	150800	152700	155300	180500	**202600**							
30	39800	42300	47100	51500	60300	68600	75900	78600	81000	83600	105900	112400	124900	155300	157300	160000	185900								
31	41000	43600	48500	53000	62100	70700	78200	81000	83400	86100	109100	115800	128600	160000	162000	164800	191500								
32	42200	44900	50000	54600	64000	72800	80500	83400	85900	88700	112400	119300	132500	164800	166900	169700	**197200**								
33	43500	46200	51500	56200	65900	75000	82900	85900	88500	91400	115800	122900	136500	169700	171900	174800									
34	44800	47600	53000	57900	67900	77300	85400	88500	91200	94100	119300	126600	140600	174800	177100	180000									
35	46100	49000	54600	59600	69900	79600	88000	91200	93900	96900	122900	130400	144800	180000	182400	185400									

36	47500	50500	56200	61400	72000	82000	90600	93900	96700	99800	126600	134300	149100	**185400**	**187900**	**191000**									
37	48900	52000	57900	63200	74200	84500	93300	96700	99600	102800	130400	138300	153600												
38	50400	53600	59600	65100	76400	87000	96100	99600	102600	105900	134300	142400	158200												
39	51900	55200	61400	67100	78700	89600	99000	102600	105700	109100	138300	146700	162900												
40	**53500**	**56900**	**63200**	**69100**	**81100**	**92300**	**102000**	**105700**	**108900**	**112400**	**142400**	**151100**	**167800**												

Schedule I

PART - I

Cadre Specific ACP Scheme

(in ₹)

Sr. No	**Name of the Post/ Cadre**	**Existing ACP pay structure**			**Corresponding level of Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016 (₹)**
		Pay Band	**Pay Band**	**Grade Pay (₹)**	**Level of Pay Matrix and First Cell in the applicable level**
1	**2**	**3**			**4**
1	**HCS Executive Services (Ex. Br.)**	(i) 15600-39100 (entry level pay band)	PB-3	5400	FPL-10 (56100)
		(ii) 15600-39100 (after 5 years of regular satisfactory service)	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)
		(iii) 15600-39100 (after 10 years of regular satisfactory service limited to 30% of the cadre post)	PB-3	7600	ACPL-16 (78800)
		(iv) 37400-67000 (after 15 years of regular satisfactory service limited to 20% of the cadre post)	PB-4	8700	ACPL-18 (118500)
2	**HPS (Deputy Superintendent of Police)**	(i) 9300-34800 (entry pay band)	PB-2	5400	FPL -9 (53100)
		(ii) 15600-39100 (after 5 years of regular satisfactory service)	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)
		(iii) 15600-39100 (after 11 years of regular satisfactory service limited to 20% of the cadre post)	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)
		(iv) 37400-67000 (For those who have completed 17 years of regular satisfactory services in the cadre limited to 10% of the cadre post assuming pre revised upgradation to 14300-18300 on completion of 17 years of regular satisfactory service)	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)

Sr. No	Name of the Post/ Cadre	Existing ACP pay structure			Corresponding level of Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016 (₹)
		Pay Band	Pay Band	Grade Pay (₹)	Level of Pay Matrix and First Cell in the applicable level
1	2	3			4
3	**Excise and Taxation Officer**	(i) 9300-34800 (entry pay band)	PB-2	5400	FPL -9 (53100)
		(ii) 15600-39100 (Sr. Scale) (after 7 years of regular satisfactory service)	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)
		(iii) 15600-39100 (Selection Grade) (after 12 years of regular satisfactory service limited to 20% of the cadre post)	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)
		(iv) 37400-67000 (Super time Scale) (For those who have completed 17 years of regular satisfactory services in the cadre limited to 10% of the cadre post)	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)
4	**Haryana Civil Medical Services**				
	(i) Medical Officers	(a) 15600-39100 (entry pay band)	PB-3	5400	FPL-10 (56100)
		(b) 15600-39100 (after 5 years of regular satisfactory service in the cadre)	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)
		(c) 15600-39100 (after 10 years of regular satisfactory service).	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)
		(d) 37400-67000 (after 15 years of regular satisfactory service).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)
	(ii) SMOs/ Medical Supdts/ Dy. Directors/ District Programme Officers	(a) 15600-39100	PB-3	7600	FPL- 12 (78800)
		(b) 37400-67000 (After 3 years of regular satisfactory service as SMO).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)

Sr. No	Name of the Post/ Cadre	Existing ACP pay structure			Corresponding level of Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016 (₹)
		Pay Band	Pay Band	Grade Pay (₹)	Level of Pay Matrix and First Cell in the applicable level
1	2	3			4
5	**Haryana Dental Services**				
	(i) Dental Surgeon	(a) 9300-34800 (entry pay band)	PB-2	5400	FPL- -9 (53100)
		(b) 15600-39100 (after 5 years of regular satisfactory service in the cadre)	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)
		(c) 15600-39100 (after 11 years of regular satisfactory service limited to 25% of the cadre post)	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)
		(d) 37400-67000 (After 17 years of regular satisfactory service limited to 20% of the cadre post).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)
	(ii) Senior Dental Surgeon	(a) 15600-39100 (entry pay band)	PB-3	7600	FPL-12 (78800)
		(b) 37400-67000 (After 17 years of regular satisfactory service as DS and above and after 6 years as SDS to the Direct SDS's).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)
6	**Ayush Doctors**				
	AMO/ HMO/ UMO/ DAO/ Asstt. Director	(a) 9300-34800 (entry pay structure of AMO/ HMO/ UMO)	PB-2	4800	FPL-8 (47600)
		(b) 9300-34800 (after 7 years of regular satisfactory service as AMO/ HMO/ UMO)	PB-2	5400	ACPL -12 (53100)
		9300-34800 (entry pay structure of DAO)	PB-2	5400	FPL-9 (53100)
		(c) 15600-39100 (after 5 years of regular satisfactory service in GP ₹ 5400 (12 years as AMO/ HMO/ UMO or 5 years as	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)

Sr. No	Name of the Post/ Cadre	Existing ACP pay structure			Corresponding level of Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016 (₹)
		Pay Band	Pay Band	Grade Pay (₹)	Level of Pay Matrix and First Cell in the applicable level
1	2	3			4
		DAO) limited to 20% of the cadre post of AMO/ HMO/ UMO/ DAO)			
		15600-39100 (Entry pay structure of Asstt. Director)	PB-3	6000 (merged with 6600)	FPL-11 (67700)
		(d) 15600-39100 (after 8 years of regular satisfactory service in GP ₹ 6000 (20 years as AMO/ HMO/ UMO or 13 years as DAO or 8 years service as Asstt. Director) limited to 20% of the cadre post of AMO/ HMO/ UMO/ DAO)	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)
7	**Haryana Veterinary Services**				
	Veterinary Surgeons/ SDO (AH)/ Deputy Director	(a) 9300-34800 (Entry pay band for Veterinary Surgeon (Group-B))	PB-2	5400	FPL- -9 (53100)
		15600-39100 (Entry pay band for SDO (AH) (Group-A))	PB-3	5400	FPL -10 (56100)
		(b) 15600-39100 (After 5 years of regular satisfactory service after entry as Veterinary Surgeons/ SDO (AH))	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)
		15600-39100 Deputy Director (entry pay band)	PB-3	6000 (merged with 6600)	FPL-11 (67700)
		(c) 15600-39100 (After 11 years of regular satisfactory service after entry as Veterinary Surgeons/ SDO (AH) and limited to 25% of the total cadre posts in the categories of Veterinary Surgeons/ SDO (AH)/ Deputy Director).	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)

Sr. No	Name of the Post/ Cadre	Existing ACP pay structure			Corresponding level of Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016 (₹)
		Pay Band	Pay Band	Grade Pay (₹)	Level of Pay Matrix and First Cell in the applicable level
1	2	3			4
		(d) 37400-67000 (After 17 years of regular satisfactory service after entry as Veterinary Surgeon/ SDO (AH) and limited to 20% of the total cadre posts in the categories of Veterinary Surgeons/ SDO (AH)/ Deputy Director).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)
8	**Haryana Engineering Services**				
	(i) SDEs/AEs/ AEEs/ XENs/ SEs in three wings of PWDs (B&R, Irrigation and Public Health)	(a) 9300-34800 (Entry pay scale for AE/ SDE (Group-B) in three wings of PWDs)	PB-2	5400	FPL-9 (53100)
		15600-39100 (Entry pay scale for AEE (Group-A) in three wings of PWDs)	PB-3	5400	FPL -10 (56100)
		(b) 15600-39100 (After 5 years of regular satisfactory service after entry as SDE/ AE/ AEE)	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)
		15600-39100 XEN (entry pay band)	PB-3	6000 (merged with 6600)	FPL-11 (67700)
		(c) 15600-39100 (After 11 years of regular satisfactory service after entry as SDE/ AE/ AEE and limited to 25% of the total cadre posts in the categories of SDEs/ AEs, AEEs, XENs and SEs).	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)
		(d) 37400-67000 (After 17 years of regular satisfactory service after entry as SDE and limited to 20% of the total cadre posts in the categories of SDEs/ AEs, AEEs, XENs and SEs).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)

Sr. No	Name of the Post/ Cadre	Existing ACP pay structure			Corresponding level of Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016 (₹)
		Pay Band	Pay Band	Grade Pay (₹)	Level of Pay Matrix and First Cell in the applicable level
1	2	3			4
	(ii) SDEs/ XENs/ SEs in Panchayati Raj Department (Engineering Wing)	(a) 9300-34800 (Entry pay scale for SDE (Group-B) in Panchayati Raj Department)	PB-2	5400	FPL-9 (53100)
		(b) 15600-39100 (After 5 years of regular satisfactory service after entry as SDE)	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)
		15600-39100 XEN (entry pay band)	PB-3	6000 (merged with 6600)	FPL-11 (67700)
		(c) 15600-39100 (After 11 years of regular satisfactory service after entry as SDE and limited to 25% of the total cadre posts in the categories of SDEs/ XENs and SEs).	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)
		(d) 37400-67000 (After 17 years of regular satisfactory service after entry as SDE and limited to 20% of the total cadre posts in the categories of SDEs/ XENs and SEs).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)
9.	**Architect Department**				
	Assistant Architect/ Architect/ Sr. Architect in Chief Architect Deptt	(a) 9300-34800 (Entry pay scale for Assistant Architect)	PB-2	5400	FPL-9 (53100)
		(b) 15600-39100 (After 5 years of regular satisfactory service after entry as Assistant Architect)	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)
		15600-39100 Architect (entry pay band)	PB-3	6000 (merged with 6600)	FPL-11 (67700)

Sr. No	Name of the Post/ Cadre	Existing ACP pay structure			Corresponding level of Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016 (₹)
		Pay Band	Pay Band	Grade Pay (₹)	Level of Pay Matrix and First Cell in the applicable level
1	2	3			4
		(c) 15600-39100 (After 11 years of regular satisfactory service after entry as Assistant Architect and limited to 25% of the total cadre posts in the categories of Assistant Architect/ Architect/ Sr. Architect).	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)
		(d) 37400-67000 (After 17 years of regular satisfactory service after entry as Assistant Architect and limited to 20% of the total cadre posts in the categories of Assistant Architect/ Architect/ Sr. Architect).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)
10.	**Town & Country Planning Department**				
	ATP/ DTP/ STP in Town and Country Planning Deptt	(a) 15600-39100 (Entry pay scale for ATP (Group-A) in Town and Country Planning Deptt)	PB-3	5400	FPL-10 (56100)
		(b) 15600-39100 (After 5 years of regular satisfactory service after entry as ATP)	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)
		15600-39100 DTP (entry pay band)	PB-3	6000 (merged with 6600)	FPL-11 (67700)
		(c) 15600-39100 (After 11 years of regular satisfactory service after entry as ATP and limited to 25% of the total cadre posts in the categories of ATP, DTP and STP).	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)
		(d) 37400-67000 (After 17 years of regular satisfactory service after entry as ATP and limited to 20% of the total cadre posts in the categories of ATP, DTP and STP).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)

Sr. No	Name of the Post/ Cadre	Existing ACP pay structure			Corresponding level of Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016 (₹)
		Pay Band	Pay Band	Grade Pay (₹)	Level of Pay Matrix and First Cell in the applicable level
1	2	3			4
11.	**Agriculture Department (Engineering Cadre)**				
	AAE/AE/JD/AD	(a) 9300-34800 (Functional pay scale)	PB-2	5400	FPL -9 (53100)
		(b) 15600-39100 (After 5 years of regular satisfactory service after entry as AAE)	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)
		(c) 15600-39100 (After 11 years of regular satisfactory service after entry as AAE and limited to 25% of the total cadre posts in the categories of AAE/AE/JD/AD).	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)
		(d) 37400-67000 (After 17 years of regular satisfactory service after entry as AAE and limited to 20% of the total cadre posts in the categories of AAE/AE/JD/AD).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)
12	**Technical Education Department**				
	(i) Lecturer (Group-B)/ Programmer (Academic)	(a) 9300-34800 (Entry Pay Structure for Lecturer (Group-B)/Programmer (Academic))	PB-2	5400	FPL- 9 (53100)
		(b) 15600-39100 (After 6 years of regular satisfactory service as Lecturer/Programmer (Academic))	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)
		(c) 15600-39100 (After 12 years of regular satisfactory service as Lecturer/ Programmer (Academic)).	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)
		(d) 15600-39100 (After 17 years of regular satisfactory service as Lecturer/ Programmer (Academic)).	PB-3	8000	ACPL -17 (88400)

Sr. No	Name of the Post/ Cadre	Existing ACP pay structure			Corresponding level of Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016 (₹)
		Pay Band	Pay Band	Grade Pay (₹)	Level of Pay Matrix and First Cell in the applicable level
1	2	3			4
		(d) 37400-67000 (After 20 years of regular satisfactory service as Lecturer/ Programmer (Academic) (limited to 15% of the total sanctioned posts of Lecturer (Group-B)/ Programmer (Academic)).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)
	(ii) Workshop Superintendent (Group-A)	(a) 15600-39100 (Entry Pay Structure for Workshop Superintendent (Group-A))	PB-3	5400	FPL- 10 (56100)
		(b) 15600-39100 (After 6 years of regular satisfactory service as Workshop Superintendent (Group-A))	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)
		(c) 15600-39100 (After 12 years of regular satisfactory service as Workshop Superintendent (Group-A)).	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)
		(d) 15600-39100 (After 17 years of regular satisfactory service as Workshop Superintendent (Group-A)).	PB-3	8000	ACPL -17 (88400)
		(d) 37400-67000 (After 20 years of regular satisfactory service as Workshop Superintendent (Group-A) (limited to 15% of the total sanctioned posts of Workshop Superintendent (Group-A)).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)
	(iii) Sr. Lecturer	(a) 15600-39100 (Entry Pay Structure for Sr. Lecturer)	PB-3	6000 (merged with 6600)	FPL- 11 (67700)
		(b) 15600-39100 (After 6 years of regular satisfactory service as Sr. Lecturer).	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)

Sr. No	Name of the Post/ Cadre	Existing ACP pay structure			Corresponding level of Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016 (₹)
		Pay Band	Pay Band	Grade Pay (₹)	Level of Pay Matrix and First Cell in the applicable level
1	2	3			4
		(c) 15600-39100 (After 11 years of regular satisfactory service as Sr. Lecturer).	PB-3	8000	ACPL -17 (88400)
		(d) 37400-67000 (After 14 years of regular satisfactory service as Sr. Lecturer (limited to 15% of the total sanctioned posts of Sr. Lecturer).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)
	(iv) HOD/ JD (Academic)/ TPO	(a) 15600-39100 (Entry Pay Structure for HOD/ JD (Academic)/ TPO)	PB-3	7600	FPL- 12 (78800)
		(b) 15600-39100 (After 4 years of regular satisfactory service as HOD/ JD (Academic)/ TPO).	PB-3	8000	ACPL -17 (88400)
		(c) 15600-39100 (After 7 years of regular satisfactory service as HOD/ JD (Academic)/ TPO).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)
13.	**Home Guards Department**				
	Senior Staff Officer	(a) 15600-39100	PB-3	6000 (merged with 6600)	FPL- 11 (67700)
	Distt. Commandant in Home Guard Department	(b) 9300-34800	PB-2	5400	FPL -9 (53100)
		(c) 15600-39100 (To those Sr. Staff Officer and District Commandants who have completed at least 11 years of regular satisfactory as commandant and above and limited to 20 % of the Combined cadre of Sr. Staff Officers and District Commandants	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)

Sr. No	Name of the Post/ Cadre	Existing ACP pay structure			Corresponding level of Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016 (₹)
		Pay Band	Pay Band	Grade Pay (₹)	Level of Pay Matrix and First Cell in the applicable level
1	2	3			4
14.	**Junior Engineer in Three wings of PWD, Panchayati Raj and Town and Country Planning Departments**	(a) 9300-34800 (entry level pay band)	PB-2	**3600 (4000 w.e.f. 01.09.2014) (merged with 4200)**	FPL-6 (35400)
		(b) 9300-34800 (on completion of 8 yrs regular satisfactory service)	PB-2	**4000**	ACPL -10 (44900)
		(c) 9300-34800 (on completion of 16 yrs regular satisfactory service with changed designation of Addl. SDE)	PB-2	5200	ACPL -12 (53100)
		(d) 9300-34800 (on completion of 24 years regular satisfactory service with changed designation of Addl. SDE)	PB-2	5400	ACPL -13 (65700)

Note.— FPL denotes functional pay level.

Schedule-I

PART - II

General ACP Matrix

(in ₹)

Sr. No.	**Functional Pay structure as on 01.01.2016**	**1st ACPL (8 yrs.)**	**Min. of the ACPL**	**2nd ACPL (16 yrs.)**	**Min. of the ACPL**	**3rd ACPL (24 yrs.)**	**Min. of ACPL**
1	**2**	**3**		**4**		**5**	
1	**1650**	ACPL-1 (1800)	**18000**	ACPL-4 (2400)	**25500**	ACPL-6 (3200)	32100
2	**1800**	ACPL-4 (2400)	**25500**	ACPL-6 (3200)	**32100**	ACPL-7 (3600)	**33200**
3	**1900**	ACPL-4 (2400)	**25500**	ACPL-6 (3200)	**32100**	ACPL-7 (3600)	**33200**
4	**2000**	ACPL-4 (2400)	**25500**	ACPL-6 (3200)	**32100**	ACPL-7 (3600)	**33200**
5	**2400**	ACPL-6 (3200)	**32100**	ACPL-7 (3600)	**33200**	ACPL-8 (4000)	**34200**
6	**2800**	ACPL-6 (3200)	**32100**	ACPL-7 (3600)	**33200**	ACPL-8 (4000)	**34200**
7	**3200**	ACPL-7 (3600)	**33200**	ACPL-8 (4000)	**34200**	ACPL-9 (4200)	**35400**
8	**3600**	ACPL-8 (4000)	**34200**	ACPL-9 (4200)	**35400**	ACPL-10 (4600)	**44900**
9	**4000**	ACPL-9 (4200)	**35400**	ACPL-10 (4600)	**44900**	ACPL-11 (4800)	**47600**
10	**4200**	ACPL-10 (4600)	**44900**	ACPL-11 (4800)	**47600**	ACPL-12 (5400)	**53100**
11	**4600**	ACPL-11 (4800)	**47600**	ACPL-12 (5400)	**53100**	ACPL-13 (6000)	**65700**
12	**4800**	ACPL-12 (5400)	**53100**	ACPL-13 (6000)	**65700**	ACPL-14 (6400)	**66800**
13	**5400**	ACPL-13 (6000)	**65700**	ACPL-14 (6400)	**66800**	ACPL-15 (6600)	**67700**
14	**6000**	ACPL-14 (6400)	**66800**	ACPL-15 (6600)	**67700**	ACPL-16 (7600)	**78800**
15	**6400**	ACPL-15 (6600)	**67700**	ACPL-16 (7600)	**78800**	ACPL-17 (8000)	**88400**
16	**6600**	ACPL-16 (7600)	**78800**	ACPL-17 (8000)	**88400**	ACPL-18 (8700)	**118500**
17	**7600**	ACPL-17 (8000)	**88400**	ACPL-18 (8700)	**118500**	ACPL-19 (8800)	**118700**

Sr. No.	Functional Pay structure as on 01.01.2016	1st ACPL (8 yrs.)	Min. of the ACPL	2nd ACPL (16 yrs.)	Min. of the ACPL	3rd ACPL (24 yrs.)	Min. of ACPL
1	**2**	**3**		**4**		**5**	
18	**8000**	ACPL-18 (8700)	**118500**	ACPL-19 (8800)	**118700**	ACPL-20 (8900)	**123600**
19	**8700**	ACPL-19 (8800)	**118700**	ACPL-20 (8900)	**123600**	ACPL-21 (9500)	**125200**
20	**8800**	ACPL-20 (8900)	**123600**	ACPL-21 (9500)	**125200**	ACPL-22 (9800)	**126000**
21	**8900**	ACPL-21 (9500)	**125200**	ACPL-22 (9800)	**126000**	ACPL-23 (10000)	**128900**
22	**9500**	ACPL-22 (9800)	**126000**	ACPL-23 (10000)	**128900**	ACPL-24 (12000)	**182200**
23	**9800**	ACPL-23 (10000)	**128900**	ACPL-24 (12000)	**182200**	No ACP	No ACP
24	**10000**	ACPL-24	**182200**	No ACP	No ACP	No ACP	No ACP
25	**HAG 67000-79000**	No ACP	No ACP	No ACP	No ACP	No ACP	No ACP

SCHEDULE - II

Form of Option

[See rule 6]

* (i) I, _____ hereby elect the revised pay structure with effect from 1st January, 2016.

* (ii) I, _____ hereby elect to continue on the existing pay structure of pay of my substantive/ officiating post mentioned below until:

* The date of my next increment;

I vacate or cease to draw pay in the existing pay structure;

the date of my promotion to _____

Present pay structure _____

Date:_____

Station: _____

Signature _____

Name _____

Designation _____

Office in which employed_____

* To be scored out, if not applicable.

Annexure- I

[See rule 3 (L)]

MEMORANDUM EXPLANATORY TO THE HARYANA CIVIL SERVICES (ASSURED CAREER PROGRESSION) RULES, 2016

Rule 1. This rule is self explanatory.

The objective of this rule is to provide two kinds of Assured Career Progression Scheme namely :—

(1) Cadre Specific Assured Career Progression Scheme for certain categories of employees/cadres.

(2) General Assured Career Progression Scheme for all other group A, B, C and D employees of Haryana Government who are not covered under scheme (1).

(3) The object is that in case of stagnation i.e. in the absence of promotion for a certain years of service, the employee will move to the 1st, 2nd and 3rd ACP structure of pay though he shall continue to discharge the same responsibility. Functionally, therefore, this movement shall not amount to a promotion and the objective of this scheme is to offset the financial stagnation as a consequence of non-availability or non-requirement of functional promotion posts. These rules have been framed so that this facility is available to all the employees equally under equal circumstances. The classification, therefore, is based on the principle that one requires reasonable financial up-gradations at different stages of his career if the requirements do not allow him an opportunity of functional promotion and consequential financial upgradation due to non availability of functional promotional avenues.

The problem of stagnation was widely recognized throughout the country in Government employments. It was felt that to keep the level of motivation of the employees at a satisfactory level it is required that this general problem of lack of promotional avenues and thereby lack of financial advantages should be addressed to adequately.

The entire scheme of Assured Career Progression is about granting a person pay upgradation, when functional considerations do not permit him to rise in the hierarchy. He continues to perform the same job as before but moves into the prescribed higher pay band and grade pay, subject to his eligibility. The idea here is the basic one that reasonable financial upgradation at different stages of his career can be provided in the absence of opportunity of functional promotion. The effort of these rules are to relieve stagnation without unduly upsetting the hierarchy. Thus, the State Government employee of group A, B, C and D shall be covered under this scheme in following manner :-

(i) The scheme will provide opportunities of financial upgradation to employees on completion of 8, 16 and 24 years of services, if they have not got promotion during previous 8 years of service. For this purpose, every employee's service record may be reviewed on completion of 8, 16 and 24 years. If on these landmarks of career, it is found that they have not been promoted in the last 8 years, then they may be given financial upgradation in the form of conferring the next available grade pay.

(ii) When an employee gets promoted, for the purpose of admissibility of ACP subsequent to the promotion, his service in the promoted cadre/ post will be taken into consideration to determine if he has stagnated at that stage. For example, if a peon gets promoted as clerk, his case will be reviewed after 8 and 16 years as clerk and ACP will be given with reference to the functional level of clerk.

(iii) As per General ACP Scheme, an employee can get a maximum of three ACPs in his career. This means, if the employee has got ACP upgradation in the post in which he was

initially recruited, then in the promotional post, the number of ACPs will be reduced after adjusting the number of ACPs he got in the post of his initial recruitment. However, direct recruitment to a higher post will not debar for the entitlement of ACP Scheme. An employee initially appointed to a lower post and subsequently appointed to a higher post through direct recruitment or limited competition of existing employee will also be entitled to full range of ACP.

The ACP scheme through these rules provides for the following:

(i) every employees recruited in a particular level shall be allowed to move to his respective and specific higher level on completion of specified period of residency in the lower level, with reference to the level or post, to which he was recruited as a direct recruited fresh entrant.

(ii) on placement in next higher level, the incumbent shall continue to perform duties of his original posts and will continue to hold the old designation till such time as he is actually promoted to the higher level on the occurrence of a vacancy.

(iii) placement in higher level will entail only the financial benefits.

(iv) the number of financial up-gradations to be given shall be counted from the pay scale where an employee was inducted on direct recruitment basis. The number of financial up-gradations shall be strictly adhered to and there shall be no additional financial upgradation for a senior employee on the ground that a junior employee got higher level under this scheme, if both the senior and junior are not subject to identical circumstances.

The present scheme provides for following distinguishing features:-

(i) the classification is based on the differentiation distinguishing the direct recruits in a lower pay structure and the direct recruits in a higher pay structure. Further it differentiates Government employees based on the length of service. For example a suitably eligible employee in a lower pay structure may be granted the higher pay structure after completing 8, 16 and 24 years of service while he still continues functionally holding the same post on which he was recruited. He may, therefore, actually be placed in a higher pay structure after completion of 16 or 24 years of service, as the case may be, in the lower post than the pay structure prescribed for the next promotional post in the hierarchy. But he constitutes a different class and category of employees recruited directly against such higher post, which is the next promotional post for the post on which an employee has been granted the benefit of ACP pay structure under these rules, based on a different principle.

(ii) the objective sought is to compensate financially an employee who is stagnating without any promotion in a lower post in cases for example for 8, 16 and 24 years. There is no functional requirement for creating posts in the higher hierarchy for all such employees. Therefore, they are being allowed a higher grade pay in compensation. The classification explained in (i) above meets this objective and, therefore, is having a rational relation to the object sought to be achieved by these rules.

Rule 2. This rule lays down the categories of employees of whom the rules apply. Except for the categories excluded under sub-rule (2) of this rule, the rules are applicable to all Government employees appointed under the rule making power of the Government employees appointed under the rule making power of the Government of Haryana serving in connection with the affairs of Government of Haryana and whose pay is debitable to the consolidated fund of the State of Haryana.

Rule 3. This rule is self explanatory.

Further, wherever the terms defined under this rule are mentioned in these rules or in any other rules/instructions/orders/notifications etc. issued in connection with these rules, definitions as

prescribed under this rule is to be taken as the meaning of such terms unless specifically a different definition is prescribed for such terms to be taken as meaning for and in these rules or, as the case may be, in any other rules/instructions/orders/notifications etc.

Rule 4. This rule is self explanatory.

Rule 5. This rule is self explanatory.

Rule 6. This rule is self explanatory.

Rule 7 & 8. These rules are self explanatory.

It lays down the conditions which are essential to be met by a Government employee to be eligible for grant of the benefit under these rules.

Rule 9 & 10. These rules are self explanatory.

The objective of grant of ACP pay structure is only limited to offset financial consequences of stagnation. No other benefit in any way or in any manner is to be extended to the Government employee.

Rule 11. This rule is self explanatory.

The rule lays down the authorisation of grant of the benefit to be extended under these rules. If further exempts the categories of Government employees who have already been extended the corresponding benefit in the past. In case of such Government employees the eligibility is not be assessed afresh or a formal order granting the benefit is not to be passed separately. However, for the purposes of providing and placing in the revised pay scales and for all other purposes under these rules they shall be governed by the conditions laid down in this rule.

Rule 12. This rule is self explanatory.

Rule 13. This rule is self explanatory.

The rule aims at removing the distortions which may crop up in isolated cases where if the employee had not been promoted, he would have been entitled to better financial benefits.

Rule 14. This rule is self explanatory.

The rule provides that the benefit of these rules are not granted as a matter of right, rather it is granted as a consequence of non-availability of posts in the hierarchy for such Government employees to be promoted against and as a consequence to get the financial upgradation based on the concept of responsibility and status. Therefore, after having taken the benefit as a consequence of non-availability if adequate number of posts in the promotional hierarchy, if somebody foregoes the promotion and thereby refuses to shoulder higher responsibility, he is not entitled for the benefit of these rules.

Rule 15. The rule is self explanatory.

Rule 16. The rule is self explanatory.

Rule 17. This rule prescribes the manner in which option has to be exercised and also the authority who should be apprised of such option. The option has to be exercised on the appropriate proforma appended to the rule. It should further be noted that it is not sufficient for a Government employee to exercise the option within the specified time limit, but also the ensure that it reaches the prescribed authority within the time limit officially and in writing on the prescribed proforma. In the case of persons who are on leave or on deputation or on foreign service at the time these rules are notified, the period within which the option has to be exercised is three months from the date they take over charge of the post. It is further made clear that unauthorized absence shall not entitle the Government employee to get the relief as granted under these rules for the Government

employees who are on leave. The period of 3 months shall be counted from the date on which the sanctioned leave expires. No other exigency shall enable such Government employees the above said relief.

The persons, who have retired between 1st January, 2016 and the date of issue of these rules are also eligible to exercise the option.

Rule 18. (1) This rule deals with the actual fixation of pay in the revised functional pay scales on 1st January, 2016. For the purposes of these rules the procedure under this rule and no other procedure under a different rule shall be followed. A few illustrations indicating the manner in which pay of Government employee should be fixed under this rule subject to the permissible stepping up of pay under notes in this rule are given below :—

Rule 19 & 20. This rule prescribes the manner in which the next increment in the new scale should be regulated. The provisos to this rule are intended to eliminate the anomalies of junior Government employees drawing more pay than their senior by the operation of substantive part of this rule.

However, the benefit of this rule will be granted in relation to both the senior and junior drawing their pay in the functional pay scales prescribed for the posts.

Rule 21 and 22. These rules are self explanatory.

Rule 23. This rule relates to the overriding effect to the rule which provides that the provisions of these rules will regulate and the provisions of any other rule will not regulate the conditions as prescribed in these rules and to the extent of any inconsistency between the provisions of these rules and provisions of any other rules, the provisions of these rules shall prevail an apply.

Rule 24. This rule is self explanatory.

There could be a possibility that these rules may cause some hardship in any particular case or to a class or category of posts. Under such circumstances the provisions of rule is clear that it has to be invoked only if the Government is satisfied about the existence of some hardship which is required to be relaxed. The relaxation of such hardship shall be based on the merit of individual cases or the cases of class and categories of employees where such hardship is found to be justified for relaxation. Removal of such hardship would, therefore, not amount to any discrimination where such hardship has either not been found to exist or has not been found to be justified for relaxation.

Rule 25. This rule is self explanatory

If the circumstances so require the Government can add or delete or charge any of the parameters as mentioned in the 1st Schedule and may further direct the mode in which the provisions of these rules shall be applicable on such changes either generally or specifically. However, in event of absence of any general or specific direction for the applicability of the provisions laid down under these rules, it shall be presumed that the entire rule shall be applicable on such changes.

Rule 26. This rule is self explanatory.

Rule 27. This rule is self explanatory.

Illustration 1

Mr. A was recruited as fresh entrant on the post of Clerk (by direct recruitment) on 05.08.2010 in the PB-1, 5200-20200, GP-1,900/- and he is working on the same post and has not got any financial upgradation. He will be completing 8 years of service on 04.08.2018 and will be entitled for 1st ACP w.e.f. 01.09.2018 (from 1st day of following month in which he completes required service of 8 years). He will be drawing pay in FPL-2 and his pay will be fixed in ACP level-4 in following manner:-

Functional level of the post of Clerk	FPL-2
Date of entitlement of 1st ACP under Rule 7.1 of HCS (ACP) Rules, 2016	01.09.2018
ACP level admissible	ACPL-4
Existing pay in Level-2 on 31.08.2018	₹ 24,500/-
Pay level on adding one increment on account of ACP	₹ 25,200/- in Level-2
Nearest next higher stage in Level-4	₹ 25,500/- this will be his pay on grant of 1st ACP Level-4 w.e.f. 01.09.2018, subject to fulfillment of eligibility conditions.

Illustration 2

Mr. B was recruited as fresh entrant on the post of Peon on 05.08.2007 in the PB-1S, 4440-7440, GP-1300/- and he is working on the same post. He has got 1st ACP grade pay of ₹ 1800/- on 01.09.2015. in case, he remain on the same post and does not get any financial upgradation in next 8 years, he will be entitled for 2nd ACP w.e.f. 01.09.2023 and his pay in relevant ACP level will be fixed as under:-

Functional level of the post of Peon	DL
Present ACP level in which employee is drawing his pay w.e.f. 01.09.2015 onwards	ACPL-1 of ACP Pay Matrix
2nd ACP level admissible under Rule 7.2 of HCS (ACP) Rules, 2016	ACPL-4
Existing pay in ACP Level-1 on 31.08.2023 (imaginary)	₹ 24,500/-
Pay level on adding one increment on account of ACP	₹ 25,200/- in ACPL-1
Nearest next higher stage in ACPL-4	₹ 25,500 this will be his pay on grant of 2nd ACP Level-4 w.e.f. 01.09.2023, subject to fulfillment of eligibility conditions.

Illustration 3

Mr. C was recruited as fresh entrant on the post of Clerk on 04.02.2007 in the PB-1, 5200-20200, GP-1,900/-. He was promoted as Assistant on 08.10.2010 in PB-2, 9300-34800, GP-3,200/- which was further modified to GP-3600/- w.e.f. 01.09.2014. Assuming that he will be holding the post of Assistant upto 2020, he will be entitled for 2nd financial upgradation (1st ACP Level corresponding to the pay scale of the post held by him), on 01.11.2018 and his pay in relevant ACP level will be fixed as under:-

Level of the post of Assistant	FPL-6
1st ACP level admissible under Rule 7.4 of HCS (ACP) Rules, 2016	ACPL-10
Existing pay in FPL-6 on 31.10.2018 (imaginary)	₹ 44,900/-
Pay level on adding one increment on account of ACP in FPL-6	₹ 46,200/-
Nearest next higher stage in ACPL-10	₹ 46,200/- this will be his pay on grant of 1st ACP (2nd financial upgradation) in ACPL-10 w.e.f. 01.11.2018, subject to fulfillment of eligibility conditions.

Illustration 4

Mr. D was recruited as fresh entrant on the post of Junior Engineer on 19.09.2006 in the PB-2, 9300-34800, GP-3,600/- and he is working on the same post and has not got any financial upgradation. The grade pay ₹ 3,600/- has been upgraded to ₹ 4,000/- w.e.f. 01.09.2014. He has completed 8 years of service on 18.09.2014 and is entitled for 1st ACP w.e.f. 01.10.2014 (from 1st day of following month in which he completes required service of 8 years). His pay will be fixed in the following manner:-

FPL of the post of JE	FPL-6
1st ACP level admissible under Rule 7.4 of HCS (ACP) Rules, 2016	ACPL-10
Existing pay in Level-8 (ACP) on 01.01.2016 (13290 + 4000 = 17290 * 2.57 = 44435/-)	₹ 44,900/-
Due date of 2nd ACP and relevant ACPL	01.10.2022. ACPL-12,
Existing basic pay in 1st ACPL-10 as on 30.09.2022 (imaginary)	₹ 53,600/-
Pay level on adding one increment on account of ACP (GP-5400/-)	₹ 55,200/-
Nearest next higher stage in Level-12	₹ 56,300/- this will be his pay on grant of 2nd ACPL-12 w.e.f. 01.10.2022, subject to fulfillment of eligibility conditions.

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.

54742—C.S.—H.G.P., Chd.